जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के विधिक उपबंधों के संबंध में भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, नई दिल्ली, द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण

अधिनियम के विधिक उपबंधों पर स्पष्टीकरण

अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण से संबंधित विधिक उपबंधों के संबंध में कतिपय संदर्भ भेजे जाते हैं। संबंधित राज्य विभागों द्वारा इन्हें भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में भेजा जाता है। भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, जहां भी आवश्यक हो, विधि मंत्रालय से परामर्श करके स्पष्टीकरण जारी करता है। विगत वर्षों में अधिनियम की लगभग प्रत्येक धारा के बारे में स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं। इस अध्याय में अभी तक जारी स्पष्टीकरण सम्मिलित किए गए हैं:-

धारा 4 :-

1. प्रश्न : चूंकि अधिनियम की धारा 18 में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण और उसमें रखे गए रजिस्टरों की परीक्षा ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसे जिला रजिस्ट्रार निदिष्ट करें। अतः क्या मुख्य रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नाम निर्देशित व्यक्ति अधिनियम की धारा 4(4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण कार्य का निरीक्षण कर सकता है या नहीं ?

स्पष्टीकरण : रजिस्ट्रार, जिला रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे और जिला रजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में कार्य करेंगे। धारा 4(4) के अधीन मुख्य रजिस्ट्रार राज्य में रजिस्ट्रीकरण के कार्य के समन्वय, एकीकरण और पर्यवेक्षण के लिए समुचित अनुदेश जारी करेगा या अन्य कदम उठाएगा। ''पर्यवेक्षण'' शब्द में निरीक्षण भी सम्मिलित है। पर्यवेक्षण का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य, कार्यवाही या प्रगति के लिए प्राधिकार सहित निदेश देना या उस पर निगरानी रखना। निरीक्षण का अर्थ है सूक्ष्मता से देखना, औपचारिक तौर से जांच करना इत्यादि। जब तक किसी व्यक्ति का उक्त कार्य की सूक्ष्मता से जांच करने या देखने का अधिकार प्राप्त नहीं होता तब तक वह प्राधिकृत रूप से उस कार्य के लिए न तो निर्देश जारी कर सकता है और न उस पर निगरानी रख सकता है। अतः, अधिनियम की धारा 4(4) के अधीन, मुख्य रजिस्ट्रार या उसके नामित ही रजिस्ट्रीकरण के कार्य का निरीक्षण करना उनके अधिकार में आता है । अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (2) में इसे और भी समर्थन मिलता है, जिसके अनुसार जिला रजिस्ट्रार को मुख्य रजिस्ट्रार के निर्देशानुसार कार्य करना है और मुख्य रजिस्ट्रार के आदेशों को निष्पादित करना है। धारा 18 में जिला रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार में आने वाले रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों के आन्तरिक निरीक्षण की व्यवस्था है, लेकिन यह धारा, धारा 4(4) के अधीन समस्त राज्य के रजिस्ट्रीकरण कार्य का पर्यवेक्षण करने के मुख्य रजिस्ट्रार के अधिकार को नहीं छीनती जिसमें राज्य के किसी भी जिले में किसी भी रजिस्ट्रीकरण का निरीक्षण सम्मिलित है।

धारा 6 :

2. प्रश्न : धारा 6(1) में उल्लिखित राजस्व जिले का स्पष्ट क्षेत्र क्या है?

स्पष्टीकरण : ''राजस्व जिला'' वाक्यांश को अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जैसा कि सामान्यतया माना जाता है कि राजस्व जिला एक ऐसा जिला है जो राज्य के राजस्व प्रशासन के प्रयोजन के लिए बनाया जाता है। तदनुसार, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 6(1) के संदर्भ में ''राजस्व जिला'' वाक्यांश से राजस्व प्रशासन के प्रयोजनों के लिए बनाया गया जिला अभिप्रेत है और उस धारा के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार के किसी जिले में केवल एक ही जिला रजिस्ट्रार होगा और जिला रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए राज्य सरकार को उतने अपर जिला रजिस्ट्रार नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है जितने वह ठीक समझे ।

धारा 7 :

3. प्रश्न : क्या राज्य सरकार को प्रत्येक रजिस्ट्रार के लिए अलग-अलग नियुक्ति आदेश जारी करना होगा रजिस्ट्रारों को पदनाम से नियुक्त करके एक सामान्य आदेश ही जारी करना होगा?

स्पष्टीकरण : इस बात का निर्णय राज्य सरकार को करना है कि वह धारा 7 के अधीन उसे दी गई शक्ति प्रयोग करते हुए किस प्रकार का आदेश जारी करती है। यदि प्राधिकारी चाहे तो एक सामान्य आदेश जारी करने में व आपत्ति नहीं है।

4. प्रश्न : छावनियों के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी या केन्द्रीय सरकार (रक्षा मंत्रालय) क्या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम छावनी पर लागू होंगे या केन्द्रीय सरकार, रक्षा मंत्रालय (निदेशक, सेना भू रिकार्ड) को सभी छावनियों के लिए एक समान नियम बनाने होंगे ?

स्पष्टीकरण : जहां तक छावनियों का संबंध है, संविधान की समवर्ती सूची की प्रविष्टि

30 के प्रयोजन के लिए ''राज्य सरकार'' केन्द्रीय सरकार नहीं है बल्कि राज्य सरकार स्वयं है। संघ सूची क प्रविष्टि 3 में विनिर्दिष्ट कतिपय मामलों अर्थात परिसीमन, स्थानीय स्वशासन आदि जैसे मामलों से ही केन्द्रीय सरकार क संबंध है। अन्य सभी कार्य राज्य सरकार के कार्य प्रतीत होते हैं। तथापि, राज्य सरकार से यह अनुरोध करना लाभदायक होगा कि वह इन क्षेत्रों में छावनी प्राधिकारियों को जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार नियुक्त करने के लिए अनुरोध करे ताकि अधिनियम के उचित कार्यचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो ।

4. प्रश्न : ''क'' अपनी पत्नी ''ख'' के पैदा हुए बच्चे के पिता के रूप में अपना नाम जन्म रजिस्टर में दर्ज करने पर इस आधार पर आपत्ति करता है कि वे अब एक साथ नहीं रहे हैं और उसने दाम्पत्य जीवन से बाहर गर्भधारण किया है। बच्चे के पिता के रूप में ''क'' का नाम ''ख'' के द्वारा दिया गया है। इस प्रकार के मामलों और विशेषकर इस मामले में अपनाई जाने वाली कार्यविधि क्या है?

स्पष्टीकरण : चूंकि बच्चे का जन्म कानूनी तौर पर विवाहित माता-पिता से हुआ है, और संबंध विच्छेद की डिग्री के अभाव में ''क'' इस आधार पर बच्चे का पिता न होने से इंकार नहीं कर सकता कि गर्भ धारण दाम्पत्य जीवन से बाहर हुआ है। चूंकि जानकारी ''ख'' द्वारा दी जा रही है और वह रिकार्ड जन्म का केवल साक्ष्य भर है, अत: ''क'' की आपत्ति स्वीकार नहीं की जा सकती ।

6. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण किसी भी स्थान पर कराया जा सकता है चाहे वह कहीं भी क्यों न हुआ या हुई हो? क्या बम्बई में घटित घटना को गोवा में रजिस्टर कराया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : घटना को केवल उसके घटित होने के स्थान पर ही रजिस्टर कराया जा सकता है। बम्बई में घटित घटना को बम्बई में उसी संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर कराना होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में वह घटित हुई है। घटना को गोवा में रजिस्टर नहीं कराया जा सकता।

7. प्रश्न : क्या भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के जन्मों या मृत्युओं को भारत में घटना के स्थान पर रजिस्टर कराया जा सकता है? अथवा भारत में विदेशी राष्ट्रिकों के जन्मों या मृत्युओं को केवल संबंधित विदेशी कंसुलावासों में ही उसी

भांति रजिस्टर कराया जाएगा जिस प्रकार विदेशों में भारतीय नागरिकों के जन्मों और मृत्युओं को अधिनियम की धारा 20(1) के अधीन दर्ज कराया जाता है?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7(2) में प्रत्येक जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान है चाहे राष्ट्रीयता कुछ भी हो। स्थानीय रजिस्ट्रार द्वारा विदेशी राष्ट्रिक के बच्चे के जन्म को रजिस्टर किया जाए और अधिनियम की धारा 12 के अधीन इस आशय का जन्म प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाए। इस प्रकार के मामलों में अधिनियम की धारा 20(1) लागू नहीं होती ।

8. प्रश्न : धारा 7 की उपधारा 5 के अधीन रजिस्ट्रार उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति कर सकता है और उन्हें अपनी कोई या सभी शक्तियां और कर्त्तव्य सौंप सकता है। यदि अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा इस आशय का कोई नियम बनाया जाता है या कोई निदेश जारी किया जाता है कि रजिस्ट्रार धारा 12 और 15 के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों को उप रजिस्ट्रार को समनुदेशित नहीं करे, तो क्या इससे अधिनियम में कोई असंगति नहीं होगी ?

स्पष्टीकरण : महारजिस्ट्रार द्वारा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन इस प्रकार का कोई नियम या निदेश धारा 7(5) के उपबंधों के अनुकूल नहीं होगा। सम्भवत: धारा 7(5) के अधीन उप रजिस्ट्रारों की नियुक्ति का अनुमोदन करते समय मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार को यह अनुदेश दे सकता है कि ये कार्य उप रजिस्ट्रारों को प्रत्यायोजित न किए जाएं।

9. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की किस धारा में इस बात का उल्लेख है कि घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण घटित होने के स्थान के अनुसार किया जाना चाहिए ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23(2) के साथ पठित धारा 7(2) में स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्रार को उसके अधिकार क्षेत्र में घटित होने वाली जन्म और मृत्यु की घटनाओं को ही रजिस्टर करना है।

10. प्रश्न : क्या हैदराबाद में सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु की घटना को गोवा में मृतक के निवास के क्षेत्र में इस आधार पर रजिस्टर कराया जा सकता है कि मृतक के शव का अंतिम संस्कार वहीं किया गया था?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार जन्म/मृत्यु की घटना को घटना के स्थान पर ही रजिस्टर कराया जा सकता है । हैदराबाद में घटित घटना को उस संबंधित रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर कराया जाना चाहिए जिसके अधिकार क्षेत्र में घटना घटी है। अत: मृत्यु की संदर्भाधीन घटना को गोवा में दर्ज नहीं कराया जा सकता। इस प्रकार के मामलों में यह आशा की जाती है कि थाने के पुलिस अधिकारी द्वारा मृत्यु की घटना की सूचना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8(1) (ङ) के अधीन उस क्षेत्र के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को दें, जिस क्षेत्र में घटना घटी है ।

11. प्रश्न : (क) रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की घटना के आधार पर किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता कैसे मालूम की जा सकती है?

स्पष्टीकरण : (क) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी गैर-भारतीय माता पिताओं की वही राष्ट्रीयता दर्ज कर सकते हैं

जो उनके पासपोर्ट में दर्ज हो। यदि संदेह हो तो इसका पता उस पुलिस प्राधिकारी से लगाया जा सकता है जहां रजिस्ट्रीकृत है और उसके आधार पर आवासीय परमिट जारी किया गया है। जहां तक उन विदेशियों का प्रश्न है जो अ को भारतीय नागरिक कहते हैं और इस पर पुलिस संदेह करती है, इस प्रकार के मामले को सुलझाने के लिए केवल य विकल्प रह जाता है कि मामले की जांच संबंधित क्षेत्र की पुलिस से करा ली जाए।

प्रश्न : (ख) क्या सूचना देने वाले द्वारा बताई गई राष्ट्रिकता को अदालत में वैध साक्ष्य माना जाएगा?

स्पष्टीकरण : (ख) रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन कार्य करता है औ उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। वह नियमों में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार प्रविष्टियां दर्ज करने के लि है, हालांकि अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन रजिस्टर में दर्ज की जाने वाली जानकारी केवल जन्म और मृत्यु स संबंधित जानकारी ही होनी चाहिए ।

प्रश्न : (ग) क्या रजिस्ट्रार के लिए जन्म/मृत्यु रजिस्टर में राष्ट्रिकता के बारे में प्रविष्टियां दर्ज करना अनिवार्य है ?

स्पष्टीकरण : (ग) किसी व्यक्ति की राष्ट्रिकता के बारे में साक्ष्य की ग्राह्यता का निर्णय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 को ध्यान में रखते हुए किसी जज द्वारा किया जाएगा। रिकार्ड के साक्ष्य का महत्व उस सच्चाई पर निर्भर है जो परिस्थितियों में सामने आती है। अत: साक्ष्य की ग्राह्यता और रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टियों के साक्ष्य का महत्व हर मामले के तथ्यों पर निर्भर होगा।

12. प्रश्न : समुद्री जहाजों में हुई मृत्युओं को व्यापरिक नौ-परिवहन अधिनियम, 1948 की धारा 214 के अधीन अगले बन्दरगाह पर जहाज के कैप्टन द्वारा जहाजरानी महानिदेशक को दर्ज कराई जानी है । भारतीय नागरिकों की मृत्युओं के मामले में, जहाजरानी महानिदेशक उक्त अधिनियम के अधीन ऐसी रिपोर्टों की एक प्रामाणिक प्रतिलिपि उस राज्य के उचित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को भेज देगा जिस राज्य का मृतक साधारण निवासी था । प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि दर्ज कराने का सही ढंग क्या है और ऐसी घटनाओं को किस स्थान पर दर्ज कराया जाना है?

स्पष्टीकरण : समुद्र में हुई सभी मृत्युओं को औपचारिक तौर पर केवल उसी स्थानीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र में दर्ज कराया जाएगा जिसका कि मृतक सामान्य निवासी था । मुख्य रजिस्ट्रार, जहाजरानी महानिदेशक से प्राप्त जहाजों में हुई मृत्युओं की प्रमाणित प्रतियों को संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार को भेजने की व्यवस्था करेगा । स्थानीय रजिस्ट्रार मृतक के निकटतम संबंधी से सभी संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद और जहाजरानी महानिदेशक के माध्यम से प्राप्त रिपोर्ट के बारे में भी विशेष टिप्पणी देते हुए उस घटना को दर्ज करेगा। ऐसे रजिस्ट्रीकरण के बाद सूचनादाता को फार्म नं. 10 में उद्धरण जारी किया जाए।

धारा 8 :

13. प्रश्न : अधिनियम की धारा 8 में वे व्यक्ति विनिर्दिष्ट हैं जो जन्म और मृत्यु की घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए रिपोर्ट देंगे। लेकिन फार्म सं. 2,3 या 4 में उल्लिखित सूचनादाता के नाम से यह मालूम करना संभव नहीं है कि क्या वह घटना की रिपोर्ट देने के लिए पात्र है या नहीं। चूंकि अब घटना के रजिस्ट्रीकरण को विधि-मान्यता है, अत: क्या

यह उचित नहीं होगा कि फार्म सं 2, 3, 4, 11, 12 और 13 में एक कालम और जोड़ दिया जाए जिसमें संबंध का उल्लेख हो ।

स्पष्टीकरण : आवासीय घटना के बारे में, धारा 8 में विनिर्दिष्ट व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था कर सकता है और हो सकता है नवजात या यथास्थिति मृतक से उस व्यक्ति का कोई संबंध न हो ।

14. प्रश्न : सामान्यत: जहाजरानी महानिदेशक से समुद्री जहाज में हुई मृत्यु के बारे में रिपोर्ट काफी देर से प्राप्त होती है। क्या ऐसी घटनाओं को अधिनियम की धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा ?

स्पष्टीकरण : जहाजरानी महानिदेशक से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण उस श्रेणी में नहीं आता है जिसमें घटनाएं भूमि पर घटती हैं। भूमि पर घटने वाली घटनाओं के लिए अधिनियम में कुछ विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अत: जहाजरानी महानिदेशक द्वारा रिपोर्ट की गई घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण में धारा 13 लागू नहीं होती ।

15. प्रश्न : किसी पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति की मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के साथ मृत्यु रिपोर्ट भेजी है लेकिन मृत्यु रिपोर्ट में मृत्यु की तारीख 9.6.75 और 14.6.75 के बीच दी गई है। मृत्यु की निश्चित तारीख मालूम नहीं है क्योंकि मृतक 9.6.75 से लापता था और उसका शव 14.6.75 को प्राप्त हुआ । पुलिस अधिकारी ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर 14.6.75 को हस्ताक्षर किये । अत: इन परिस्थितियों में क्या रजिस्टर में मृत्यु की तारीख 9.6.75 और 14.6.75 के बीच लिखना पर्याप्त होगा क्योंकि कोई भी मृत्यु होने की वास्तविक तारीख नहीं बता सकता ।

स्पष्टीकरण : इस बात की संभावना हो सकती है कि इस प्रकार की मृत्यु की विस्तृत जांच की जाए और ऐसे मामलों में सामान्यत: शव परीक्षा की जाती है और शव परीक्षा रिपोर्ट में मृत्यु की संभावित और वास्तविक तारीख का स्पष्ट उल्लेख होता है ।

16. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8(1)(ख) के अनुसार अस्पताल में हुए जन्मों और मृत्युओं का रजिस्ट्रीकरण डाक्टरों द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर किया जाना है। अस्पतालों को धारा 10 में यथानिर्धारित फार्म 5, 6 और 7 में दिए गए हैं । लेकिन अभी भी जानकारी पुराने फार्म में प्राप्त होती है। यह स्पष्ट किया जाए कि क्या पुराने फार्मों में प्राप्त सूचना के आधार पर रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 8(1)(ख) के अधीन किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था के भारसाधक चिकित्सक अधिकारी का यह प्राथमिक कर्त्तव्य है कि वह धारा 16 की उप धारा 1 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फार्मों में प्रविष्टि किए जाने के लिए अपेक्षित विभिन्न ब्योरों की इत्तिला अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए मौखिक या लिखित रूप में रजिस्ट्रार को दें या दिलवाएं। इस प्रकार के संस्थानों के भारसाधक अधिकारी ऐसे संस्थानों में हुई घटनाओं को उस स्थानीय क्षेत्र के रजिस्ट्रार के यहां रजिस्टर कराने के लिए कानूनी रूप में बाध्य हैं जहां संस्थान स्थित हैं। इस संबंध में जनता का कोई उत्तरदायित्व नहीं है । उक्त अधिनियम के अधीन नियम 5 में अवधि और प्रारूप विहित किए गए हैं। ऐसे संस्थानों के भारसाधक अधिकारी को जीवित जन्मों की सूचना प्ररूप 2 में, मृत जन्मों की सूचना प्ररूप 3 और मृत्युओं की सूचना प्ररूप 4 में उसी प्रकार देनी है जिस प्रकार जनता को देनी है। धारा 10 के अधीन विहित प्ररूप

5, 6 और 7, धारा 10 में विनिर्दिष्ट सूचनादाताओं द्वारा घटनाओं की सूचना देने के लिए है। उनमें बहुत कम सम्मिलित हैं । सूचनादाता फार्म में सम्मिलित जानकारी के आधार पर रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जा सकता क्योंकि रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक सभी विवरण नहीं होते हैं ।

17. प्रश्न : एक जहाज उसमें सवार सभी व्यक्तियों सहित बीच समुद्र में डूब गया है और किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इसकी सूचना अगले बन्दरगाह पर दे दे। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि शिपिंग मास्टर, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, सरकारी नौवहन कार्यालय, वेल्लार्ड इस्टेट, बम्बई-1 के मृतक की पत्नी को भेजे गए पत्र के आधार पर मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण किया जाए जिसे आवेदक द्वारा प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तथापि, उक्त पत्र से यह प्रतीत होता है कि मृतक जूनागढ़ जिले का है इससे यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक मृत्यु को ''दीव'' में क्यों रजिस्टर करवाना चाहता है?

स्पष्टीकरण : अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की दशा का वर्णन नहीं है जबकि जहाज का प्रभारी, जहाज के नाविक और अन्य सभी व्यक्तियों के साथ समुद्र में डूब जाता है और दुर्घटना के बारे में सूचना देने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं बचता है। नियम 6 यह बताता है कि धारा (8) की उपधारा 8(1) के अधीन जानकारी अगले बन्दरगाह पर जहाज के कप्तान द्वारा दी जाएगी। लेकिन इस मामले में जहाज का कप्तान बचा नहीं है। शिपिंग मास्टर, नौवहन और परिवहन मंत्रालय, सरकारी नौवहन कार्यालय और मृतक की पत्नी द्वारा प्राप्त जानकारी को ठीक समझा जाए क्योंकि ऐसी मृत्यु की जानकारी केवल मृतक की पत्नी या उसके उत्तराधिकारी ही दे सकते हैं । यद्यपि धारा 8 की उप धारा (1) के अनुसार ऐसी जानकारी राज्य के रजिस्ट्रार को दी जानी चाहिए, तथापि यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी ऐसी शक्ति का प्रत्यायोजन अन्य प्राधिकारी को किया जा रहा है तो उसके द्वारा भी रजिस्ट्रीकरण किए जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार का रजिस्ट्रीकरण उस स्थान पर ही किया जाना चाहिए जिस स्थान का मृतक निवासी था ।

ऐसी स्थिति में जब पूरा जहाज समुद्र में डूब जाता है तो मृतक के किसी भी नजदीकी रिश्तेदार द्वारा ही मृत्यु की घटना को दर्ज कराने की संभावना हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में इस घटना को सही मानना चाहिए । ऐसी घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण उस स्थान पर ही किया जाना चाहिए जिस स्थान का मृतक निवासी था।

इस मामले में, दीव के अपर जिला रजिस्ट्रार, जिन्हें कि रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रार्थना प्राप्त हुई है, पार्टी को यह सलाह दें कि वह गुजरात राज्य के संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार से सम्पर्क स्थापित करें ।

18. प्रश्न : यह स्पष्ट किया जाए कि क्या कस्बों में अस्पतालों में हुए जन्मों को उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार, जिसमें अस्पताल स्थापित है, द्वारा दर्ज किया जाएगा या संबंधित परिवारों के सामान्य निवास स्थान पर ऐसी घटनाओं को रजिस्टर कराना है?

स्पष्टीकरण : अस्पताल में हुई घटनाएं उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज की जाएंगी जिस क्षेत्र के अन्तगर्त यह अस्पताल आता है। ऐसी घटनाएं सामान्य निवास स्थान पर दर्ज नहीं की जाएंगी क्योंकि रजिस्ट्रीकरण घटना होने के स्थान पर किया जाना है।

19. प्रश्न : क्या जहाजरानी महानिदेशक, बम्बई द्वारा दी गई मृत्युओं की सूचनाएं स्थानीय रजिस्ट्रार को भेजी जानी

हैं या ऐसी घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए केवल रिपोर्टों की प्रतियां भेजी जानी हैं और मूल रिपोर्ट को मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्थायी रिकार्ड के लिए रखा जाए ?

स्पष्टीकरण : जहाजरानी महानिदेशक से प्राप्त मृत्यु की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतियां (मूल रुप में) संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रारों को भेज दी जानी चाहिएं । इससे रजिस्ट्रार को रिपोर्ट को रजिस्टर के अभिन्न भाग के रूप में रखने में सहायता मिलेगी। मुख्य रजिस्ट्रार के कार्यालय को केवल ऐसी रिपोर्टों की प्राप्ति की रिकार्ड रखें और उसे संबंधित रजिस्ट्रारों को भेजनी चाहिए।

20. प्रश्न : संस्थागत घटनाओं की विलम्बित रिपोर्टिंग के मामले में ऐसी घटनाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या प्रणाली अपनाई जानी चाहिए ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 से यह ज्ञात होता है कि किसी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रसूति या परिचर्या गृह या वैसी ही किसी संस्था में जन्म या मृत्यु की बाबत घटना की जानकारी रजिस्ट्रार को देने का उत्तरदायित्व धारा 8(1)(ख) के अधीन भारसाधक चिकित्सा अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य व्यक्ति का है। अत: संस्थागत घटनाओं की विलम्बित रिपोर्ट के लिए अस्पताल के संबंधित भारसाधक अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाए और अधिनियम की धारा 13 के अधीन वांछित सभी औपचारिकता को पूरा किया जाए। इसके अतिरिक्त, संबंधित अधिकारी को अधिनियम की धारा 23 और 24 के अधीन किए गए उपबंधों के अनुसार दण्डित भी किया जा सकता है।

21 . प्रश्न : किसी व्यक्ति विशेष ने तारीख 26.6.76 और 2.7.76 के बीच की अवधि के दौरान फांसी लगाकर आत्महत्या की । मृत्यु समीक्षक अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि मृतक व्यक्ति की केवल 18.7.76 को ही पहचान की गई थी। जब उसने मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए सूचना दी तो रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित विलम्ब-शुल्क की मांग की गई । क्या ऐसे मामले में विलम्ब शुल्क लेने का औचित्य है?

स्पष्टीकरण : यदि वास्तविक तारीख मालूम नहीं है तो यह कहना उचित नहीं होगा कि सूचना देने में देरी की गई है। चूंकि रिपोर्ट सरकार के पुलिस विभाग के अधिकारी द्वारा दी गई है, अत: संबंधित रजिस्ट्रार को यह सलाह दी जाए कि इस विषय में नियम की सख्ती से व्याख्या न की जाए और ऐसी घटना, टिप्पणी कालम में उचित टिप्पणी के साथ दर्ज की जानी चाहिए ।

22. प्रश्न : (।) संस्थानों (।।) और पुलिस प्राधिकारियों से विलम्बित रिपोर्टिंग पर विलम्ब शुल्क लेना आवश्यक है ? यदि हां तो ऐसे मामलों में कौन शुल्क देगा ?

स्पष्टीकरण : यदि किसी संस्थान या पुलिस स्टेशन या बैरक का प्रभारी अधिकारी अधिनियम की धारा 8 के अधीन अपेक्षित निर्धारित समय के दौरान घटना की रिपोर्ट नहीं देता है तो उसे विलम्ब शुल्क देना है और यहां तक कि अधिनयम की धारा 23 की उप धारा (1) के अधीन उपबंधित शास्ति के लिए भी उत्तरदायी है।

23. प्रश्न : कतिपय संस्थान जन्म या मृत्यु की सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की अवधि के अंतिम दिन भेजते हैं और रजिस्ट्रार के लिए संभवत: उसी दिन सभी घटनाओं को दर्ज करना असंभव है। यदि उससे अगला दिन या अगले कुछ दिन

छुट्टी के हैं, तो रजिस्ट्रीकरण करने में और भी देरी हो जाती है। क्या ऐसे मामलों में विलम्ब शुल्क का भुगतान किया है ?

स्पष्टीकरण : ऐसे मामलों में विलम्ब शुल्क का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि घटनाओं की सूचना नि अवधि में दी गई है। रजिस्ट्रीकरण छुट्टियों के बाद अगले कार्य दिवस में किया जा सकता है।

24. प्रश्न : धर्मज जन्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए कानून में किसी विशिष्ट व्यवस्था के अभाव में क्या स्था रजिस्ट्रार धर्मज जन्मों के अनुसार ही रजिस्ट्रीकरण की प्रणाली को अपना सकता है ?

क्या पश्चिम बंगाल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 के फार्म सं. 11 (जन्म रजिस्टर) फुट नोट 1 कानून के समतुल्य है?

अधिनियम की धारा 7(2) में यह उपबंधित है कि रजिस्ट्रार अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाले प्रत्ये जन्म या मृत्यु की घटना के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए पूरी सावधानी से कदम उठाएगा। अधर्म जन्मों और संदिग्ध मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण के मामले में विशेष सावधानियां रखने की आवश्यकता हो सकत है । कृपया मार्गदर्शन किया जाए ।

स्पष्टीकरण : धर्मज और अधर्मज जन्मों के रजिस्ट्रीकरण की समान प्रणाली है। किसी अधर्मज जन्म की प्रविष्टि के मामले में रजिस्टर में उसके टिप्पणी कालम में ''अधर्मज'' शब्द भी लिखा जाना है। तथापि, पिता के रूप में किसी भी व्यक्ति का नाम उस समय तक नहीं लिखा जाए जब तक कि इस बारे में पुरुष और महिला की संयुक्त रुप से प्रार्थना न हो। इस बारे में राज्य नियमों के फार्म सं. 11 की तल टिप्पणी में ऐसे मामलों के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार का मार्गदर्शन किया गया है। चूंकि फार्म 11 अधिनियम के अधीन तैयार किए गए नियमों का भाग है अत: तल टिप्पणी कानून के समतुल्य है।

अपनी अधिकारिता के भीतर होने वाली जन्म/मृत्यु की घटना के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रार, अधिनियम की धारा 21 के अधीन यथा उपबंधित किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जिस परिसर में वह व्यक्ति निवास करता है उसमें हुए जन्म या मृत्यु संबंधी कोई इत्तिला जो उसे है, वह उसे दे और वह व्यक्ति ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा । जहां तक अधर्मज जन्मों और संदिग्ध मृत्युओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार की संरक्षा सुनिश्चित करने की समस्या का प्रश्न है, अधिनियम की धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता 1860 के अर्थ में लोक सेवक है और जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 की धारा 28 (1) में यथा उपबंधित जब रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों में से किसी कर्त्तव्य का पालन कर रहा हो, उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

25. प्रश्न : केरल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1970 के नियम 6(2) के अनुसार उन मृत्युओं के बारे में जो अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (क) से (ङ) के अन्तर्गत नहीं आती हैं जिनमें मृत्यु की समीक्षा की गई है, घर में की गई आत्महत्या के बारे में जो यह शंका उठाई गई है कि यद्यपि मृत्यु की समीक्षा करने वाले अधिकारी से कहा गया कि वह मामले की रिपोर्ट दे, उत्तर में उसने कहा कि नियम 6(2) के अनुसार और चूंकि घटना घर में हुई है अत: इसकी रिपोर्ट धारा 8(1)(क) में वर्णित व्यक्ति द्वारा ही दी जाएगी। कृपया आवश्यक स्पष्टीकरण दें।

स्पष्टीकरण : इस मामले में, परिवार के मुखिया का यह कर्त्तव्य है कि वह मृत्यु के बारे में रिपोर्ट दें। इस मामले में केरल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1970 का नियम 6(2) लागू नहीं होगा। तथापि मृत्यु की समीक्षा करने वाले अधिकारी से अधिनियम की धारा 10 (1) (iii) के अधीन यह कहा जा सकता है कि वह राज्य नियम के नियम 7 में यथाविहित तरीके से रजिस्ट्रार को मृत्यु की सूचना दें।

26. प्रश्न : क्या परिवार के मुखिया को यह अनुमति दी जाए कि वह जन्म और मृत्यु की घटनाओं के बारे में विहित प्रथम के स्थानीय रजिस्ट्रार को डाक द्वारा सूचना भेजे ?

स्पष्टीकरण : इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि परिवार के मुखिया घर में हुए जन्म और मृत्यु की घटनाओं की सूचना, यदि विवरण विहित रिपोर्टिंग प्ररुप 2, 3, और 4 में क्रमश: जीवित-जन्म, मृत जन्म अथवा मृत्यु के बारे में है, डाक द्वारा रजिस्ट्रार को दें। इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि ऐसे मामलों में रजिस्टर के कैफियत कॉलम में टिप्पणी दे दी जाए कि यह रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर किया गया है।

27. प्रश्न : मछुआरों के समुद्र में लापता हो जाने की रिपोर्ट मिलने पर क्या उन्हें मृत माना जा सकता है ? यदि हां तो ऐसे मामलों का किस प्रकार रजिस्ट्रीकरण किया जाए ?

स्पष्टीकरण : मछुआरे समुद्र में डूब गए हैं या नहीं, यह तथ्यों पर निर्भर है। यदि व्यक्तियों के समुद्र में वस्तुत: डूब जाने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं और उनके आधार पर यह नतीजा निकलता है कि उनकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें मृत माना जाए। जहां तक मृत्यु की अवधारणा का प्रश्न है, ऐसी अवधारणा गुम होने की तारीख से 7 वर्ष की अवधि के अवसान पर ही की जा सकती है ।

28. प्रश्न : निम्नलिखित परिस्थितियों में जन्म/मृत्यु की घटनाओं की रिपोर्ट देने के लिए कौन जिम्मेदार है :

(1) यदि अस्पताल में जुड़वां बच्चों का मामला भर्ती किया जाता है जिसमें पहला बच्चा अस्पताल से बाहर पैदा होता है और दूसरा बच्चा कुछ समय के पश्चात अस्पाल में पैदा होता है।

(2) यदि अस्पताल से बाहर पैदा हुआ पहला बच्चा माता के साथ अस्पताल में नहीं लाया गया तथा बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है ।

(3) यदि प्रसव अस्पताल से बाहर होता है और बाद में किन्हीं प्रसविक पेचीदगियों में नवजात शिशु के साथ माता को अस्पताल में भर्ती किया जाता है।

(4) यदि रोगी को मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया ।

स्पष्टीकरण : उक्त सभी चार परिस्थितियों में जन्म/मृत्यु अस्पताल से बाहर हुई है । अत: यह अस्पताल प्राधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है कि वह घटना की रिपोर्ट रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दे। तथापि, उक्त (1) के मामले में जब भी दूसरे शिशु के बारे में रिपोर्ट दर्ज करें तो टिप्पणी कॉलम में यह भी उल्लेख करें कि ये जुड़वां बच्चे हैं और पहले बच्चे का जन्म अस्पताल से बाहर हुआ ।

29. प्रश्न : किसी परित्यक्त बच्चे के जन्म की घटना के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जाए और

क्या ऐसे बच्चे के माता-पिता का नाम सुसंगत कॉलम में दर्ज किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : किसी परित्यक्त बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 8(1)(ङ) में दि कार्यविधि के अनुसार किया जाए । जन्म रजिस्टर में ऐसे बच्चे के माता पिता से संबंधित प्रविष्टि या तो ''अज्ञात'' चाहिए या वास्तविक स्थिति के अनुसार होनी चाहिए । वास्तविक माता-पिता (अर्थात पिता और माता) के स्थान पर लेने वाले माता पिता का नाम दर्ज नहीं करना चाहिए ।

धारा 12 :

30. प्रश्न : क्या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है जो लापता हो और जिस लापता होने के बारे में पिछले 7 वर्षों से कोई जानकारी नहीं है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 2(ख) के अनुसार ''मृत्यु'' से जीवित जन्म हो जाने के पश्चात् किसी भी समय जीवन के सब लक्षणों का स्थायी तौर पर विलोपन अभिप्रेत है। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रत्येक मामले में यह प्रश्न उठेगा कि क्या मृत्यु अधिनियम में यथा परिभाषित तौर पर हुई है ? संदर्भित टिप्पणी के अनुसार मृत्यु रजिस्टर में भरी जाने वाली प्रविष्टियों और टिप्पणी में उल्लिखित अन्य तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि मृत्यु रजिस्टर में इन कॉलमों को केवल ''सबूत के भार'' के आधार पर ही भरा जा सकता है।

31. प्रश्न : अस्पतालों में हुई ''मेडिको लीगल'' मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी?

स्पष्टीकरण : अस्पताल में हुई ''मेडिको लीगल'' मामलों में अस्पताल प्राधिकारियों/चिकित्सकों को चाहिए कि वे पुलिस प्राधिकारियों से प्रमाणपत्र लेने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित रजिस्ट्रार को विवरण सहित सूचित करें । इसका उद्देश्य यह है कि स्थानीय रजिस्ट्रार मृत्यु की घटना को मृत्यु का कारण कॉलम भरे बिना रजिस्टर कर सकता है और कैफियत कॉलम में यह टिप्पणी दे सकता है ''मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्रतीक्षित'', ''मृत्यु का कारण'' मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत भर दिया जाए ।

32. प्रश्न : धारा 12 के अनुसार जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उक्त व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी। चिकित्सा संस्थानों में हुए जन्म और मृत्युओं के बारे में भारसाधक चिकित्सा अधिकारी सूचनादाता है। कुछेक रजिस्ट्रारों ने यह शंका अभिव्यक्त की है कि क्या ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को उद्धरण देना जरूरी है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अनुसार '' जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही, रजिस्ट्रार रजिस्टर में से जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का अपने हस्ताक्षर सहित उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला दी'' । चूंकि संस्थागत घटनाओं के मामले में धारा 8 (ख) के अधीन भारसाधक चिकित्सा अधिकारी सूचनादाता है, अतः उद्धरण उसे दिया जाना चाहिए जो उद्धरण को नवजात शिशु अथवा यथास्थिति मृतक के माता-पिता या संबंधितों को भेजेगा।

96. प्रश्न :

33. प्रश्न : क्या अधिनियम के अधीन जन्म प्रमाण पत्र के पीछे परिवार नियोजन और स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी नारे छपवाना अनुज्ञेय हैं ?

स्पष्टीकरण : जन्म प्रमाण पत्र को प्रचार का माध्यम बनाना वांछनीय नहीं है, क्योंकि यह विधिक दस्तावेज है ।

34. प्रश्न : धारा 12 में रजिस्ट्रार को जन्म मृत्यु से संबंधित रजिस्टरों से अपने हस्ताक्षर सहित निर्धारित विवरणों के उद्धरण जारी करने का अधिकार दिया गया है। जीवन बीमा निगम आदि मृत्यु प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां देने पर बल दे रहे हैं और वे प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं । अत: आजकल आम जनता प्रमाण पत्रों की एक से अधिक प्रतियों की मांग कर रही हैं । इस प्रकार के मामलों में क्या किया जाए ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 12 में केवल उद्धरण जारी करने का प्रावधान है, तथापि यदि एक से अधिक प्रतियां मांगी जाती हैं तो अधिनियम की धारा 17 के अधीन निर्धारित फीस की अदायगी करने पर उद्धरण की प्रतियां वांछित संख्या में दी जा सकती हैं । अधिनियम की धारा 17 के अधीन जारी किये गये उद्धरण का साक्ष्य महत्व होता है और उससे वही प्रयोजन सिद्ध होता है जो अधिनियम की धारा 12 के अधीन उद्धरण से होता है ।

35. प्रश्न : क्या रजिस्ट्रार द्वारा फार्म संख्या 10 में जारी किए गए मृत्यु प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण के बारे में एक कॉलम जोड़ा जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : चूंकि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अनुसार रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 17 के अधीन उद्धरण मांगने वाले व्यक्ति को मृत्यु का कारण नहीं बता सकता, अत: फार्म संख्या 10 में यह सम्मिलित नहीं है ।

36. प्रश्न : धारा 12 में यह प्रावधान है कि रजिस्ट्रार जन्म या मृत्यु से संबंधित रजिस्टर में से उस जन्म या मृत्यु से सम्बद्ध विहित विशिष्टियों का उद्धरण उस व्यक्ति को मुफ्त देगा जिसने धारा 8 या 9 के अधीन इत्तिला दी है । क्या धारा 13 के अधीन विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के मामले में किसी व्यक्ति को मुफ्त उद्धरण दिये जा सकते हैं ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 में यह प्रावधान है कि उक्त अधिनियम की धारा 8 या 9 के अन्तर्गत इत्तिला देने वाले व्यक्ति को मुफ्त उद्धरण दिये जाएंगे । अत: इस धारा के उपबंध धारा 13 के मामले में लागू नहीं होते हैं । अत: अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को इत्तिला देने वाले व्यक्ति को मुफ्त उद्धरण नहीं दिये जा सकते ।

37. प्रश्न : जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 12 में यह प्रावधान हैं कि जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण पूर्ण होते ही रजिस्ट्रार जन्म या मृत्यु से संबंधित रजिस्टर में से निर्धारित विवरणों के उद्धरण अपने हस्ताक्षर सहित देगा । इसके अलावा धारा 17(2) में भी यह प्रावधान है कि बाद में भी फीस का भुगतान करने पर जन्म और मृत्यु रजिस्टर से उद्धरण प्राप्त किए जा सकते है और इस प्रकार का प्रमाण-पत्र उस जन्म या मृत्यु को जिससे वह प्रविष्टि सम्बद्ध हो, साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा । क्या ऐसे उद्धरण को पैतृक, सन्तान संबंधी और वैवाहिक संबंध से उत्पन्न किसी नागरिक के जन्म या मृत्यु या उसकी हैसियत साबित करने के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्टरों की प्रविष्टियां सार्वजनिक दस्तावेज हैं और भारतीय साक्ष्य अ 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य के रुप में ग्राह्य हैं, तथापि, ये प्रविष्टियां जन्म या यथास्थिति मृत्यु का निर्णायक होती हैं । अन्य विवरण जिनके बारे में संबंधित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती या जांच करने का कोई साधन नहीं है, उन्हें निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है । उदाहरण के लिए, यदि जन्म रं में दर्ज करने के लिए पिता का नाम माता द्वारा बताया जाता है तो सम्बद्ध पार्टी द्वारा एक तरफा बयान होने के कारण पैतृत्व का निर्णायक साक्ष्य नहीं माना जा सकता ।

38. प्रश्न : क्या धारा 12 के अधीन दिए गए उद्धरण का भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अन्तर्गत व साक्ष्य महत्व है जो महत्व धारा 17 के अधीन दिए गए उद्धरण का है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 17 के अधीन प्रमाणित उद्धरण विधिक विवाद य न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजनों के उपयोग के लिए आशयित हैं । तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1972 की धारा 76 में बताए गए तरीके से प्रमाणित दस्तावेज धारा 77 के अधीन हैं ''लोक दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सबूत या प्रतियां जिनके लिए तात्पर्चित हैं उन लोक दस्तावेजों के भागत: सबूत'' के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य हैं ।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 के अधीन लोक दस्तावेज की किसी भी प्रति में सबसे नीचे यह प्रमाण पत्र लिखा होगा कि यह ऐसे दस्तावेज, या यथास्थिति उसके किसी भाग की, सही प्रतिलिपि है और इस प्रकार के प्रत्येक प्रमाण-पत्र पर किसी ऐसे अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे और हस्ताक्षर के नीचे उसका नाम और पदनाम की मोहर लगाई जाएगी । यह हस्ताक्षर अधिकारी द्वारा तभी किए जाएंगे जब उसे विधि द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ।

लेकिन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12 के अधीन जारी किए जाने वाले जन्म और मृत्यु रजिस्टर की विहित विशिष्टयों के उद्धरण मुख्यत: रिकार्ड के लिए होते हैं और वे शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश जैसे न्यायेतर प्रयोजन के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि धारा 17 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के संबंध में फीस वसूल की जा सकती है। तथापि, यदि प्रशासनिक मंत्रालय यह वांछा करता है कि धारा - 12 के अधीन जारी उद्धरण से वही प्रयोजन पूरा होता है जो धारा 17 के अधीन दी गई प्रति से होता है तो वह नियमों में इस आशय की व्यवस्था करके कर सकता है, अर्थात् धारा 12 के अधीन दिए गए उद्धरण के नीचे यह प्रमाण पत्र दिया जाए कि यह ऐसे दस्तावेज की सही प्रतिलिपि है और ऐसे प्रत्येक प्रमाण पत्र पर अधिकारी द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर करके अपने नाम, पदनाम और कार्यालय की मोहर लगाई जाए । यदि ऐसा किया जाता है तो धारा 12 के अधीन जारी उद्धरण भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 के अर्थ में प्रमाणित प्रति मानी जाएगी, लेकिन धारा 12 के अधीन प्रतियां जारी करने के लिए कोई फीस नहीं ली जा सकेगी ।

39. प्रश्न : क्या मृतक की आयु भी मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्शायी जानी है ?

स्पष्टीकरण : यह वांछनीय नहीं है कि मृतक की आयु मृत्यु प्रमाण पत्र (फार्म सं. 10) में दर्ज की जाए । मृत्यु रजिस्टर में आयु का कॉलम केवल सांख्यिकी प्रयोजनार्थ दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रयोजन के लिए मृतक की आयु प्रमाणित करना चाहता है तो उसे मृतक का जन्म प्रमाण पत्र अथवा मृतक की आयु से संबंधित कोई अन्य प्रमाण प्रस्तुत करना होगा ।

96. प्रश्न :

40. प्रश्न : क्या जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म/मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों की भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में भी जारी किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण : जन्म/मृत्यु रजिस्टरों से उद्धरण केवल उसी भाषा में जारी किए जाने हैं जिस भाषा में रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई हैं ।

41. प्रश्न : क्या अधिनियम और राज्य नियमों के उपबंधों के अधीन मृत जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 2(1) के अनुसार ''जन्म'' शब्द से जीवित जन्म या मृत जन्म अभिप्रेत है। अत: मृत जन्म प्रमाण-पत्र रजिस्टर (प्ररूप सं. 12) के उद्धरण प्ररूप सं. 9 में उचित परिवर्तन करके जारी किए जा सकते हैं कि जानकारी मृत जन्म के मूल रिकार्ड से ली गई है..... ''जन्म'' शब्द के स्थान पर उक्त प्ररूप में मृत जन्म की तारीख और मृत जन्म का स्थान दिया जाए ।

42. प्रश्न : क्या अधिनियम की धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रीकृत घटनाओं के संबंध में भी धारा 12 के अधीन जन्म/मृत्यु के उद्धरण नि:शुल्क दिए जा सकते हैं ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 12 में धारा 8 या धारा 9 के अधीन इत्तिला देने वाले व्यक्ति को नि:शुल्क उद्धरण देने की व्यवस्था है। अत: इस धारा के उपबंध धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रीकृत घटना पर लागू नहीं होते।

43. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु के उद्धरण उस भाषा से भिन्न भाषा में जारी किए जा सकते हैं जिसमें संगत रजिस्टर रखा जाता है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्टर के उद्धरण उसी भाषा में जारी किए जाने चाहिएं जिस भाषा में रजिस्टर में प्रविष्टियां की गई हैं । तथापि, यदि रजिस्ट्रार ऐसे उद्धरणों की प्रति अन्य भाषा में भी जारी करता है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसी प्रति के सबसे ऊपर ''अनूदित रूपांतर'' लिख देना चाहिए ।

धारा 13 :

44. प्रश्न : जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अनुसार किसी निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने के बाद विलम्ब शुल्क का भुगतान किए जाने पर घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण भी संभव है । देश के कुछ भागों से यह पता चला है कि दंगे, फसाद और कर्फ्यू आदि लग जाने अथवा इसी प्रकार की अन्य स्थितियों के कारण जन्म और मृत्यु की घटनाओं को निर्धारित समय-सीमा के अन्दर रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जा सका । कुछ मामलों में तो घटनाओं को दो महीने से भी अधिक की अवधि में दर्ज नहीं किया जा सका । क्या ऐसी स्थिती में अधिनियम की धारा 13(1) और इसी प्रकार के राज्य नियमों के अधीन विलम्ब शुल्क की अदायगी को राज्य सरकार द्वारा हटाया जा सकता है ? क्या राज्य सरकार के प्राधिकारियों द्वारा शुल्क हटाये जाने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : धारा 13 में निर्धारित किए जाने वाले विलम्ब शुल्क के भुगतान का प्रावधान है। इस धारा या अधिनियम में अन्यत्र कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें विलम्ब शुल्क की अदायगी से किसी प्रकार की छूट दी गई हो । धारा 30 के अनुसार राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार की अनुमति से नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया

है और इस धारा की उप धारा (2) के खण्ड (1) के अनुसार धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए देय शुल्क के लिए नियम बनाने का प्रावधान है । अत: स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 13(1) में सम्मिलित विधायी आशय यह है कि विलम्बित सूचना के लिए विलम्ब शुल्क की अदायगी की जाएगी, परन्तु इस फीस की सीमा अधिनियम की धारा 30 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है । इस प्रयोजनार्थ निर्धारित अवधि के बाद देर से जानकारी देने के मामले में किन्हीं भी परिस्थितियों में विलम्ब शुल्क के भुगतान को माफ करने के लिए अधिनियम की कोई व्यवस्था नहीं है । अब दूसरा प्रश्न यह है कि क्या नियमों में छूट देने के लिए कोई प्रावधान किया जा सकता है? इस संबंध में कानूनी दृष्टि से यह माना गया है कि ऐसे अधीनस्थ विधान अधिनियम के क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे । देखें उत्तर प्रदेश सरकार बनाम चमन लाल (ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 435)। अधीनस्थ विधान कानून से बाहर नहीं हो सकता। देखें असम सरकार बनाम किदवाई {1957 एस. सी. आर. 295(317)} । इन मामलों में न तो अधिनियम में ही छूट देने संबंधी कोई प्रावधान है और न ही उसमें छूट देने संबंधी नियम बनाने का कोई अधिकार । यदि किसी विशेष मामले में शुल्क के भुगतान के बारे में कानूनी व्यवस्था हो, तो ऐसे शुल्क के भुगतान से छूट के लिए प्रावधान करना अनिवार्य तथा विधायी कार्य बन जाता है । इसे भी प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता जब तक कानून में ऐसी नीति निर्धारित न हो और ऐसे मामलों की श्रेणी या श्रेणियां और परिस्थितियां उल्लिखित न हों जिनके अनुसार छूट दी जा सकती हो । चूंकि ऐसे मामलों में कानून में कोई प्रावधान नहीं है, अत: नियमों में छूट देने संबंधी कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है । अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग जैसा कि धारा 30(1) में उल्लिखित है, ऐसे नियम बनाने के लिए नहीं किया जा सकता जिसकी अधिनियम में परिकल्पना नहीं की गई और न ही इसके लिए अधिनियम प्राधिकृत करता है ।

इन परिस्थितियों को देखते हुए जैसा कि इस समय कानून है, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार को छूट देने की शक्ति नहीं है, न ही इस संबंध में किसी शक्ति के प्रयोग की कोई गुंजाइश है ।

45. प्रश्न : कुछ राज्य सरकारों का ''रजिस्ट्रीकरण सप्ताह'' आयोजित करने का विचार है । उनका यह विचार है कि इस प्रकार के अभियान से कुछ प्रभाव अवश्य होगा और अधिक से अधिक लोगों को रजिस्ट्रीकरण के बारे में पता लगेगा । इस अभियान के उद्देश्य को देखते हुए रजिस्ट्रीकरण सप्ताह के दौरान राज्य सरकार का विलम्ब शुल्क की अदायगी से छूट देने का विचार है । तथापि अधिनियम में किन्हीं भी परिस्थितियों में निर्धारित अवधि के बाद विलम्ब से प्राप्त रिपोर्ट पर विलम्ब शुल्क को हटाने की कोई व्यवस्था नहीं है । इन परिस्थितियों में यह सुझाव दिया जाए कि राज्य सरकारों द्वारा ''रजिस्ट्रीकरण सप्ताह'' किस प्रकार से आयोजित किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि विलम्ब शुल्क के भुगतान के बिना देरी से रजिस्ट्रीकरण करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 में ऐसे विलम्ब शुल्क का भुगतान करने का उल्लेख किया गया है जो नियमों के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए । तथापि, रजिस्ट्रीकरण सप्ताह आयोजित किए जाने की अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं को विलम्ब से दर्ज कराने के लिए 5 पैसे या 10 पैसे की नाममात्र राशि निर्धारित करना अनुज्ञेय होगा और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा उक्त धारा के अधीन नियम बनाकर ऐसी व्यवस्था की जा सकती है ।

तथापि, धारा 13 की उप धारा (3) के अधीन कुछ कठिनाइयों के उत्पन्न हो जाने की संभावना है । जन्म या

मृत्यु की कोई घटना जिसे जन्म और मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान रजिस्ट्रीकृत नहीं करवाया गया है, उसको प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही रजिस्ट्रीकृत किया जा सकता है । इस उपबंध को देखते हुए इस प्रकार के देरी से किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण के बारे में मजिस्ट्रेट द्वारा ही निर्णय लिया जाना है और मजिस्ट्रेट के सामने इस प्रकार की कार्यवाही में समय लगना स्वाभाविक है । अत: इस पहलू की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

उक्त के अलावा देरी से किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक मामले में अधिनियम की धारा 23(1) और (4) के अन्तर्गत दण्ड का भी प्रावधान है । तथापि, धारा 24 मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह 50 रु. से अनधिक प्रशमन फीस लेकर अपराध का प्रशमन कर सकता है । अत: इसे ध्यान में रखते हुए ''सप्ताह'' के दौरान देरी से रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक मामले में संबंधित व्यक्ति से कुछ प्रशमन करने वाली फीस तो लेनी ही होगी जो कि नाममात्र फीस हो सकती है ।

उक्त सप्ताह के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि देरी से किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण का दुरुपयोग न किया जा सके जो कि सरकारी सेवा में अनुकूल लाभ पाने के उद्देश्य से जन्म की गलत तारीख दर्ज करवा कर लिया जा सकता है ।

46. प्रश्न : किसी व्यक्ति ने धारा 13(1) के अधीन विलम्ब शुल्क का भुगतान करके घटना के 29वें दिन रजिस्ट्रार को सूचना दी । रजिस्ट्रार ने प्राप्ति की तारीख से 6 दिन के बाद घटना को दर्ज किया । इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाए कि क्या उक्त घटना के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को कोई जुर्माना देना होगा और जिला रजिस्ट्रार से लिखित अनुमति लेनी होगी ?

स्पष्टीकरण : धारा 13(2) के उपबंध तभी लागू होते हैं जब रजिस्ट्रार को जानकारी 30 दिन के बाद दी जाती है ।

47. प्रश्न : मुख्य रजिस्ट्रार, केरल के ध्यान में एक घटना आई है जहां पर एक व्यक्ति ने घटना की सूचना उस घटना के 10 महीने के बाद रजिस्ट्रार को दी थी । जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 10(2) के अनुसार इस संबंध में राज्य नियम की धारा 10(2) के अनुसार इस घटना को दर्ज करने के लिए जिला रजिस्ट्रार की मंजूरी की आवश्यकता है । सूचनादाता को जिला रजिस्ट्रार की लिखित अनुमति लाने को कहा गया । जब तक सूचनादाता द्वारा नियम 10(2) के अन्तर्गत लिखित मंजूरी पेश की गई तब तक एक वर्ष की अवधि समाप्ति हो गई थी और इसके परिणामस्वरूप जन्म और मृत्यु अधिनियम की धारा 13(3) और राज्य नियम 10(3) के अनुसार इस घटना को दर्ज करने के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की मंजूरी की आवश्यकता पड़ती है जिससे पार्टी को काफी असुविधा होती । ऐसी असुविधा को दूर करने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुझाव विचारार्थ प्रस्तुत है :-

रजिस्ट्रार इस घटना के ब्यौरे सूचनादाता के हस्ताक्षरों और अपने हस्ताक्षरों के बिना रजिस्ट्रार से अन्तिम लिखित अनुमति मिलने पर दर्ज कर ले जब तक इस संबंध में आवश्यक प्रतिक्रियात्मक औपचारिकताएं पूरी न हो जाएं । इस प्रकार की अन्तिम अनुमति हस्ताक्षरों को छोड़कर विभिन्न प्रकार की प्रविष्टियां करने के लिए पर्याप्त होगी । उपर्युक्त पद्धति के अनुसार यदि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाती है तो धारा 10(3) इस पर लागू नहीं होगी । तथापि, जिला

रजिस्ट्रार से अंतिम मंजूरी प्राप्त हो जाने पर रजिस्टर में हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रीकरण किया जा सकता है । यदि जिला रजिस्ट्रार की मंजूरी नहीं मिलती है तो प्रविष्टि को काट दिया जाएगा ।

इस बात का स्पष्टीकरण किया जाए कि क्या उक्त पद्धति अपनाई जा सकती है ? यह भी बताया जाए कि क्या इसके लिए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण निमय, 1970 के नियम 10(2) में संशोधन करना होगा, अथवा राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा इस पद्धति को अपनाया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : यह नोट किया जाए कि केरल जन्म और मृत्यु नियम 1970 के नियम 10 के उप नियम (1), (2) और (3) केवल विलम्ब शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के अलावा जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उप धारा (1), (2) और (3) आवश्यक परिवर्तन सहित उनके अनुरूप ही है । नियम 10(3) और धारा 13(3) में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी जन्म अथवा मृत्यु जो जन्म और मृत्यु होने की एक वर्ष की अवधि में रजिस्टर नहीं करवाई गई है, तो उसे निर्धारित श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त होने पर और निर्धारित विलम्ब शुल्क के भुगतान के बाद रजिस्टर करवाया जा सकता है । यह उल्लेखनीय है कि धारा 13 की उप धारा (1) और (2) जन्म अथवा मृत्यु के बारे में जानकारी देने के बारे में है जबकि उप धारा (3) में रजिस्ट्रीकरण संबंधी निर्धारित अवधि का उल्लेख किया गया है । अधिनियम में ''रजिस्ट्रीकरण'' शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है । धारा 11 में उस पद्धति का उल्लेख है जिसके अनुरूप यह किया जाएगा। यदि एक बार उक्त कार्रवाई पूर्ण हो जाती है तो यह कहा जा सकता है कि जन्म अथवा मृत्यु दर्ज कर ली गई है । सूचनादाता और रजिस्ट्रार के हस्ताक्षरों के बिना संबंधित कॉलमों को मात्र भर लेने से अधिनियम की धारा 11 के अधीन रजिस्ट्रीकरण पूरा नहीं समझा जाएगा और इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि धारा 13 की उप धारा (3) के प्रयोजनार्थ जन्म अथवा मृत्यु रजिस्टर कर ली गई है । धारा 13(2) में जानकारी देने और रजिस्टर करने में अन्तर स्पष्ट किया गया है और घटना को रजिस्टर करने से पूर्व निर्धारित प्राधिकारी की लिखित अनुमति की आवश्यकता होती है । जैसा कि ऊपर बताया गया है कि यदि रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया एक वर्ष की अवधि में पूरी नहीं होती है तो उप धारा (3) के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है । जिला रजिस्ट्रार द्वारा अन्तिम अनुमति देने का न ही अधिनियम और न ही नियमों में प्रावधान है । अधिनियम की धारा 13(2) और नियमों के नियम 10(2) में केवल निर्धारित प्राधिकरण से केवल एक प्रकार की लिखित अनुमति लेने का प्रावधान है और इस प्रयोजनार्थ जिला रजिस्ट्रार जो निर्धारित प्राधिकारी है, अनुमति दे सकता है । यदि रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है तो नियम 10(3) लागू होगा। अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (2) और उप धारा (3) में उल्लिखित प्रावधानों को देखते हुए नियम 10(2) में संशोधन करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है । इसका समाधान धारा 13(2) के अन्तर्गत निर्धारित प्राधिकरण द्वारा मामले का शीघ्र निपटान करके या अधिनियम में उचित संशोधन करके किया जा सकता है ।

48. प्रश्न : 1 अप्रैल, 1974 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 लागू हो जाने से पश्चिम बंगाल सरकार ने यह अनुरोध किया है कि पश्चिम बंगाल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1972 के नियम 10(3) के अधीन शक्ति को इस्तेमाल करने का प्राधिकार कार्यकारी मजिस्ट्रेट को दे दिया जाए । चूंकि अधिनियम की धारा 13(3) में केवल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का उल्लेख किया गया है अत: इस प्राधिकार का उपयोग केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं किया जा सकता । यह भी बताया जाए कि क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में संशोधन करना आवश्यक होगा अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता

1973 द्वारा अपेक्षित उचित मजिस्ट्रेट निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ पश्चिम बंगाल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1972 के नियम 10(3) में केवल संशोधन करना होगा ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उप धारा (3) में यह उल्लेख किया गया है कि जन्म और मृत्यु की घटना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद देरी से रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म और मृत्यु की जांच किए जाने के उपरान्त दिए गए आदेश और निर्धारित शुल्क के भुगतान के बाद रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा ।

यथार्थता की जांच के कार्य में प्रमाण को सही या गलत पाया जा सकता है अथवा निर्णय तैयार करना अन्तर्ग्रस्त हो सकता है, किन्तु निर्णय से किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सजा या दण्ड नहीं मिलेगा अथवा न ही किसी व्यक्ति पर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 3 की उप धारा (4) के खण्ड (क) के तहत मुकदमा चलाया जाएगा । अधिक से अधिक इस कार्य को अर्ध न्यायिक कार्य कहा जा सकता है । जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अधीन कार्य प्रशासनिक या कार्यकारी स्वरूप के माने जाते हैं । दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 3 की उप धारा (4) के खण्ड (ख) में यह प्रावधान है कि संहिता को छोड़कर अन्य किसी कानून के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाने वाले कार्य जो कि प्रशासनिक अथवा कार्यकारी स्वरूप के हों, कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किये जा सकते हैं। अत: उक्त को ध्यान में रखते हुए जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 की उप धारा (3) के अन्तर्गत आने वाले कार्यों का कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है ।

49. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व की घटनाओं को भी दर्ज किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु की घटनाएं जो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व की हैं, उन्हें भी इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दर्ज किया जा सकता है । ऐसी घटनाओं में रजिस्ट्रीकरण के लिए देरी से रजिस्ट्रीकरण करवाने संबंधी धारा 13 के उपबंध लागू होंगे ।

50. प्रश्न : क्या जिला सांख्यिकीय अधिकारी (जिला रजिस्ट्रार) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(2), 13(3) के उपबंधों और बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1970 के नियम 10(2) के अधीन प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के स्थान पर कार्य कर सकता है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 13(2) और 13(3) तथा बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 1970 के नियम 10(2) और (3) में जन्म और मृत्यु के देर से रजिस्ट्रीकरण करवाने के लिए अनुमति देने के लिए अलग-अलग प्राधिकारियों का प्रावधान है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश की तभी आवश्यकता होती है जब जन्म और मृत्यु की घटनाओं को एक वर्ष की अवधि के भीतर रजिस्टर नहीं किया जाता और इस संबंध में धारा 13(3) के उपबंध लागू होते हैं। जिला सांख्यिकीय अधिकारी, जो जिला रजिस्ट्रार होता है, को प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की शक्तियां नहीं दी जा सकतीं क्योंकि अधिनियम में किसी अन्य व्यक्ति को ये शक्तियां प्रत्यायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं है ।

51. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अनुसार कोई भी जन्म और

मृत्यु जो जन्म और मृत्यु होने के एक वर्ष की अवधि में रजिस्टर नहीं किया गया है, को अब प्रथम श्रेणी के मज़िस्ट्रेट अथवा प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा जन्म और मृत्यु की यथार्थता की जांच किए जाने के बाद ही आदेश देने पर और निर्धारित विलम्ब शुल्क के भुगतान पर रजिस्टर किया जा सकता है । हाल ही में एक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा एक मामला इस कार्यालय के ध्यान में लाया गया है जहां पर प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश में यह कहा गया है कि इस जन्म को पति पत्नी के दत्तक पुत्र के रूप में दर्ज किया जाए । तथापि जांच के बाद यह पता लगाया गया कि विद्यमान कानून के अधीन इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी । संबंधित व्यक्ति की वैधता का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि जिन व्यक्तियों ने उसे अपनाया था वे अब मर चुके हैं और न ही उसके वास्तविक माता-पिता के नाम का पता लगाना संभव है। रजिस्ट्रीकरण के वास्ते प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया आदेश आधार है, किन्तु इसमें संदेह हो गया है कि क्या ''दत्तक पुत्र'' के रूप में जन्म रजिस्टर किया जा सकता है जब तक दत्तक ग्रहण को कानूनी तौर पर मान्यता प्राप्त न हो । **कृपया स्पष्ट करें ?**

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित जानकारी जन्म और मृत्यु के बारे में है जैसाकि अधिनियम में उल्लिखित है । यह जानकारी वास्तविक माता-पिता द्वारा दी जानी है और इस संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पर्याप्त ग्रहण दिया जाना है जैसा कि धारा 13 के अधीन उल्लिखित है । उक्त को देखते हुए जन्म के बारे में प्रमाण की आवश्यकता है और उसके माता पिता की अनुपस्थिति में उसके इलाके के निवासियों द्वारा प्रमाण देना होगा जो उसके जन्म को दर्ज किया जाना है वह एक दत्तक पुत्र का है । इस मामले में पुत्र बनाने वाले माता-पिता भी दुर्भाग्यवश मर चुके हैं और उसके वास्तविक माता-पिता का नाम पता लगाना संभव नहीं है। जबकि दत्तक पुत्र के जन्म को दर्ज करने में कोई कानूनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए तथापि यह आवश्यक है कि दत्तक पुत्र के वास्तविक माता पिता का नाम पता होना चाहिए और उसे रजिस्टर में दर्ज किया जाए। इस मामले में दत्तक पुत्र को रजिस्टर में दर्ज करने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि उसे कानूनी रूप से दत्तक पुत्र नहीं बनाया गया है। अत: उक्त को देखते हुए उसके जन्म के बारे में प्रमाण केवल वास्तविक माता-पिता अथवा उन व्यक्तियों द्वारा दिया जा सकता है जिनको इस जन्म के बारे में जानकारी है।

52. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अधीन जन्म/मृत्यु की घटना के बारे में तथ्य का पता लगाने/जांच करने के लिए विशेष पद्धति निर्धारित करने के लिए राज्य नियमों के अन्तर्गत नियम बनाए जा सकते हैं ?

स्पष्टीकरण : यह महसूस किया गया कि इस संबंध में किसी प्रकार के मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करना उचित नहीं होगा जो मजिस्ट्रेट की विवेक शक्ति को सीमित या सीमाबद्ध करें । मजिस्ट्रेट से यह आशा की जाती है कि वे प्रत्येक मामले के गुणावगुण के तथ्यों के अनुसार न्यायिक आदेश पारित करें ।

53. प्रश्न : यद्यपि राज्य नियमों के अधीन निर्धारित अवधि में पार्टियों द्वारा इन घटनाओं की सूचना दी गई थी तथापि राज्य में तलाती-सह-मंत्री, जो जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करता है, द्वारा की गई हड़ताल के कारण जन्म और मृत्यु की घटनाएं दर्ज नहीं की जा सकीं । रजिस्ट्रार की हड़ताल को देखते हुए राज्य के जन्म और मृत्यु के मुख्य रजिस्ट्रार ने ऐसी घटनाओं को दर्ज करने के लिए कुछ छूट देना प्रस्तावित किया है । क्या इस प्रकार की छूट जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन दी जानी संभव है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 तभी लागू होती है जब किसी जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना सूचनादाता द्वारा देर से दी जाती है अन्यथा नहीं ।

ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियों ने घटनाओं के बारे में जानकारी समय पर दी है और वे चूककर्त्ता नहीं हैं । विभाग में हड़ताल होने की वजह से प्राधिकारी, पार्टियों द्वारा दी गई घटनाओं की सूचना के अनुसार घटनाओं को दर्ज करने की कोई कार्रवाई न कर सके । उक्त परिस्थितियों में कोई विलम्ब शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि किसी व्यक्ति की जन्म और मृत्यु की घटना की किसी पार्टी द्वारा सूचना न दिए जाने की दशा में ही धारा 13 लागू होती है। इस प्रकार अधिनियम के उपबंधों में किसी प्रकार की छूट दिए बिना ही प्राधिकारी पार्टी द्वारा दी गई घटनाओं को दर्ज कर सकते हैं।

54. प्रश्न : अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा घटनाओं को दर्ज करने में हुई देरी के लिए रजिस्ट्रार द्वारा विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार यदि अपेक्षित जानकारी जन्म मृत्यु की तारीख के तीस दिन के बाद और एक साल के भीतर दी जाती है तो धारा 13(2) के उपबंध लागू होते हैं । तथापि धारा 13(3) तभी लागू होती है जब कि किसी घटना के उसके होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर दर्ज न किया गया है । धारा 13 की उप धाराओं में संबंधित पार्टी द्वारा विलम्ब शुल्क के भुगतान के बारे में उल्लेख किया गया है । किसी घटना को दर्ज करने में रजिस्ट्रार से हुई देरी में विलम्ब शुल्क का भुगतान किए जाने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है । तथापि किसी घटना को रजिस्ट्रार द्वारा अत्यधिक देरी से दर्ज किए जाने की दशा में दण्डित किया जा सकता है । अधिनियम की धारा 23(2) में यह प्रावधान है कि यदि कोई रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार अपने क्षेत्राधिकार में हुई किसी जन्म या मृत्यु की घटना की बिना युक्ति संगत कारण के उपेक्षा करता है या उसे दर्ज करने से इन्कार करता है अथवा अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित कोई विवरणी भेजने से इन्कार करता है तो उसे 50 रु. जुर्माना किया जा सकता है।

55. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजि. अधिनियम, 1969 की धारा 23 शास्तिओं से संबंधित है । इस धारा की उप धारा 5 में यह उल्लेख किया गया है कि इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: किया जाएगा। अब प्रश्न यह उठता है कि इस संबंध में कोई मामला कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत में चलाया जाएगा या न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में ।

स्पष्टीकरण : दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 3(4) में यह प्रावधान है कि जहां किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्य ऐसे मामलों से सम्बद्ध हों जो साक्ष्य का मूल्यांकन करने या उसकी छानबीन करने या ऐसे निर्णय देने जिससे किसी व्यक्ति को सजा या शास्ति या अभिरक्षा में निरोधित किया गया और अन्तत: किसी न्यायालय के आगे विचारण के लिए भेजा जाए, ऐसे सभी मामले न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोक्तव्य हैं ।

56. प्रश्न : क्या अधिनियम की धारा 13(3) में यथा अधिकथित विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के उपबंधों के अधीन जन्म की कोई घटना, जन्म स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर रजिस्ट्रीकृत हो सकती है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13(3) के अधीन जन्म/मृत्यु की घटना उसी स्थान पर रजिस्ट्रीकृत हो सकती है जहां पर वह जन्म/मृत्यु हुई है । ऐसे मामलों में रजिस्ट्रीकरण संबंधित क्षेत्र के

मजिस्ट्रेट के आदेश पर किया जाना चाहिये ।

57. प्रश्न : क्या अधिनियम की धारा 13(3) के अधीन जन्म और मृत्यु के लिए विलम्ब से किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की यथा विद्यमान धारा 13(3) के उपबंधों के अधीन, ऐसी घटनाओं के विलम्ब से रजिस्ट्रीकरण करने पर कोई समय सीमा नहीं है ।

58. प्रश्न : अधिनियम की धारा 13 और तत्संबंधी राज्य नियमों के अधीन देय फीस वसूल करने का सक्षम प्राधिकारी कौन है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्टीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13 और 23 और तत्संबंधी राज्य नियमों के अधीन देर/विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिए अधिरोपित फीस और शास्तियां तब तक संबंधित जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को अदा की जाएंगी जब तक कि इस प्रयोजन के लिए राज्य नियमों के अधीन किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त या प्राधिकृत नहीं कर दिया जाए ।

59. प्रश्न : क्या धारा 13 के उपबंध उन मामलों में भी लागू होंगे जिनमें सूचनादाता द्वारा जन्मों और मृत्युओं की घटनाओं की सूचना राज्य नियमों में निर्धारित समय के अंदर दे दी जाती है लेकिन उन्हें रजिस्ट्रार द्वारा उनकी सूचना देने के एक वर्ष के अन्दर रजिस्टर नहीं किया जाता ?

स्पष्टीकरण : धारा 13 केवल उन मामलों में लागू होती है जिनमें सूचनादाता ऐसी घटनाओं की समय पर सूचना देने में असफल रहता है । तथापि, घटनाओं को रजिस्टर करने में रजिस्ट्रार की ओर से अनावश्यक देरी होती है तो उसके विरूद्ध अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन कार्रवाई की जा सकती है ।

धारा 14 :

60. प्रश्न : क्या 1.7.1970 से पूर्व (अर्थात् जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने की तारीख से पहले) दर्ज किए गए बच्चे के नाम से संबद्ध कॉलम को भरा जा सकता है या नहीं ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 31(2) में दिए गए उपबंधों के अनुसार निरस्त विधि के अधीन जन्म और मृत्यु के बारे में की गई प्रविश्यिों को अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई प्रविष्टियां पृथक बनी रहेंगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए।

61. प्रश्न : क्या धारा 23(4) के अधीन किसी व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित की जा सकती है यदि वह राज्य नियमों में विहित समय के अंदर रजिस्ट्रार को बच्चे का नाम बताने में असफल रहता है ?

स्पष्टीकरण : यदि किसी बच्चे का जन्म बिना नाम के रजिस्टर किया गया है और उसके माता-पिता या अभिभावक उस बच्चे के नाम के बारे में निर्धारित 12 महीने की अवधि के बाद रजिस्ट्रार को जानकारी देता है तो रजिस्ट्रार दो रुपये के विलम्ब शुल्क के भुगतान पर उसका नाम रजिस्टर में दर्ज करेगा {आदर्श नियमों का नियम 11(1)} । यदि जानकारी किसी युक्तिसंगत कारण के बिना देरी से दी जाती है तो जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की

धारा 23(4) और तत्समान राज्य नियमों के अधीन 10 रु. तक का जुर्माना भी किया जा सकता है ।

धारा 15 :

62. प्रश्न : क्या अन्य प्रकार के सभी संशोधन जन्म की तारीख की तरह ही किए जाएंगे और प्रमाणित प्रतियां जारी करने के लिए भी क्या उसी प्रकार की पद्धति अपनाई जाएगी ?

स्पष्टीकरण : चंडीगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1974 के नियम 12 में यह प्रावधान है कि सभी प्रकार के संशोधन, जिसमें जन्म की तारीख और प्रमाणित प्रतियों की आपूर्ति भी शामिल है, ससमान तरीके से किए जा सकते हैं ।

चंडीगढ़ जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1974 के नियम 12(4) में यह अपेक्षित है कि उक्त प्रयोग के लिए रजिस्ट्रार को विश्वासोत्पादक प्रमाण देना होगा और उसमें अधिनियम की धारा 15 के अधीन संशोधन करने के लिए विस्तृत पद्धति भी दी गई है ।

63. प्रश्न : किसी व्यक्ति द्वारा एक मामला ध्यान में लाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि शल्य चिकित्सा के बाद उसकी लड़की का लिंग बदल गया है । उसने अपने इस वक्तव्य के समर्थन में उस डाक्टर द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र भी संलग्न किया है जिसने बच्चे का आपरेशन किया है । अब लिंग परिवर्तन के परिणामस्वरूप उक्त बच्चे के पिता ने अनुरोध किया है कि इस बच्चे की जन्म संबंधी प्रविष्टि में आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाए । इस बात को स्पष्ट किया जाए कि क्या पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर मूल जन्म प्रविष्टियों में बच्चे का नाम और लिंग आदि संबंधी आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं ?

स्पष्टीकरण : पार्टी द्वारा प्रस्तुत किए गए चिकित्सा दस्तावेजों के आधार पर जन्म रजिस्टर में नाम और लड़का/लड़की संबंधी मूल प्रविष्टि में परिवर्तन करके संशोधन करने की अनुमति दी जाती है ।

64. प्रश्न : श्रीमती ''ए'' को उत्पन्न बच्चे का जन्म, बच्चे के पिता के रूप में उल्लिखित या याचिकादाता के नाम से दर्ज किया गया है । किन्तु याचिकादाता ने इस बच्चे का पिता होने से इंकार किया है । ऐसे मामलों में रजिस्ट्रार को क्या पद्धति अपनानी चाहिए ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को यह प्राधिकार प्राप्त है कि वह जन्म और मृत्यु रजिस्टर में संशोधन कर सकता है । इस मामले में संबंधित रजिस्ट्रार को पूछताछ करनी चाहिए और अधिनियम की धारा 15 में निर्धारित पद्धति के अनुसार आवश्यक संशोधन करना चाहिए । यदि याचिकादाता उस बच्चे की मां का विधिक पति है तो उसके विरोध को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वह पृथकता या तलाक की डिग्री प्रस्तुत नहीं करता । यदि जांच के आधार पर रजिस्ट्रार के आश्वस्त होने तक प्रविष्टि में गलती अथवा कपट की आशंका हो, तो रजिस्ट्रार नियम 12(6) यथा प्राधिकृत रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें धारा 25 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के आवश्यक ब्यौरे देकर और उससे वांछित जानकारी प्राप्त होने पर नियम 12 के विभिन्न उप नियमों के उपबंधों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेगा।

65. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 में जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रारों को

जन्म और मृत्यु रजिस्टर में संशोधन करने की पूर्ण शक्तियां प्रदान की गई हैं । अब यह बात सामने आई है कि इस शक्ति से अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं क्योंकि कुछेक रजिस्ट्रार जन्म की तारीख तक बदलने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं जो कि तीस या चालीस वर्ष पहले दर्ज किए गए थे । कुछेक मामलों में तो शैक्षिक रिकार्ड, सरकारी रिकार्ड आदि में दी गई जन्म की तारीख, जन्म संबंधी रिकार्ड में दी गई तारीख से बिलकुल भिन्न है । संबंधित पार्टी से अनुरोध प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार को जन्म की तारीख सही करनी पड़ती है । फलस्वरूप यदि कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उन्हें अपनी नौकरी में समय की अवधि में बढ़ोतरी मिल जाती है । इस प्रकार इससे भ्रष्टाचार होने से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: रजिस्ट्रारों की इस शक्ति पर कोई रोक लगाना एक वास्तविक आवश्यकता है । **कृपया बताएं ?**

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 में रजिस्ट्रारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे जन्म या मृत्यु की किसी भी गलती को सही कर सकते हैं या उसे रद्द कर सकते हैं बशर्ते कि वह प्ररूपत: या सारत: गलत हो या कपटपूर्ण या अनुचित तौर पर की गई हो । किन्तु यह स्पष्ट है कि इसमें अनेक सावधानियां भी बरती गई हैं । धारा इस प्रकार आरम्भ होती है ''यदि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने वाले रूप में यह साबित कर दिया जाए'' जिससे स्पष्ट है कि प्रविष्टि में केवल गलती अथवा कपट ही को सिद्ध नहीं करना है बल्कि रजिस्ट्रार को समाधान प्रदान करने तक साबित करना है । इस संबंध में रजिस्ट्रार को न्यायिक कल्प कार्य करना होगा और अपने समाधान होने तक प्रमाण की अच्छी प्रकार से जांच करनी होगी । इस संबंध में यह साबित करना होगा कि प्रविष्ट प्ररूपत: या सारत: गलत है या कपटपूर्ण या अनुचित तौर पर की गई है । इससे स्पष्ट है कि जन्म की तारीख बदलने के लिए रजिस्ट्रार को बाध्य नहीं किया जा सकता है ।

इसमें दूसरा बचाव यह है कि रजिस्ट्रार को ऐसी प्रविष्टियों को संशोधित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और शर्तों और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना होगा । राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनाए गए नियमों के लिए पक्के प्रमाण की आवश्यकता होगी जिससे कि किसी दावे को सही माना जा सके और इस बात की आवश्यकता होगी कि इस संबंध में बनाई गई क्रिया विधि का सख्ती से अनुपालन किया जाए ।

इसमें तीसरा बचाव यह है कि रजिस्ट्रार किसी मूल प्रविष्टि को नहीं बदलेगा परन्तु मार्जिन में संशोधन करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा तथा संशोधित करने की तारीख डालेगा । फलस्वरूप मूल तारीख और संशोधित तारीख, दोनों ही रजिस्टर में आमने सामने होगी और उक्त प्रविष्टि की किसी भी प्रमाणित प्रति में दोनो तारीखें दी जाएंगी ।

अधिनियम में कहीं भी यह उल्लेख नहीं है कि रजिस्टर में प्रविष्टि ही जन्म और मृत्यु का एकमात्र सबूत है । अत: इस प्रकार की प्रविष्टि मात्र एक प्रमाण होगी । संशोधन के बाद जब दो तारीखें, एक मूल और एक संशोधित होगी, तो वह प्राधिकरण, जिसे किसी व्यक्ति के जन्म की तारीख को देखते हुए कोई कार्रवाई करनी है, तो उस संशोधित तारीख को स्वीकार करने या उनके कार्यालय के रिकार्ड में दी गई तारीख को बदलने के लिए बाध्य नहीं होगा ।

ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए भ्रष्टाचार किए जाने की संभावनाएं यदि पूर्णतया समाप्त नहीं हो जातीं तो बहुत सीमित ही प्रतीत होती हैं ।

इस उपबंध द्वारा रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां सख्त नियम बनाकर कम की जा सकती हैं और जन्म की तारीख को बदलने के लिए दिए जाने वाले आवेदन पत्र के मामले में पद्धति को विस्तृत बना दिया जाए जिससे जन्म की तारीख

बदलने के युक्तियुक्त प्रमाण की आवश्यकता होगी जैसा कि ऊपर पैरा-2 में दिया गया है।

66. प्रश्न : यह स्पष्ट किया जाए कि क्या ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जहां जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व हुई और दर्ज की गई घटनाओं में यदि जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 की धारा लागू 28(1) में भी रजिस्टर में प्रविष्टि को बदलने के लिए इसी प्रकार का प्रावधान था ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रार राज्य के निरस्त कानून के अधीन दर्ज जन्म और मृत्यु के बारे में की गई प्रविष्टियों को रद्द करने या उनमें संशोधन करने के लिए सक्षम हैं ।

जिन राज्यों में जन्म मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अधीन जन्म अथवा मृत्यु की घटनाओं को दर्ज किया गया है और वहां यह अधिनियम अभी भी लागू है, उस दशा में प्रविष्टियां उक्त अधिनियम की धारा 28 के अधीन संशोधित की जाएंगी ।

यदि 1886 का अधिनियम निरस्त कर दिया गया है तो उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई प्रविष्टियां अब 1969 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन संशोधन की जा सकती हैं ।

67. प्रश्न : विभिन्न राज्यों में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पूर्व अन्य अधिनियमों (जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अलावा) के अधीन दर्ज किए गए जन्म और मृत्युओं के बारे में प्रविष्टियों को क्या पुराने अधिनियमों/नियमों (जन्म, मृत्यु और विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1886 के अलावा) के अधीन अथवा विद्यमान 1969 के अधिनियम के उपबंधों के अधीन जब भी जनता द्वारा ऐसी प्रविष्टियों के संशोधन या रद्द करने का अनुरोध किया जाता है, रद्द या संशोधित किया जा सकता है ? इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि 1969 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व राज्यों में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए (1886 के अधिनियम के अलावा) अपने अपने अधिनियम थे जैसे कि ट्रावनकोर, कोचीन जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधनियम, 1953) 1953 का आठवां अधिनियम, केरल नगरपालिका अधिनियम, 1960 (धारा 324), मद्रास जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1899 (1899 का तीसरा अधिनियम) आदि जो कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) के अनुसार निरस्त हो चुके हैं ।

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 31(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न राज्यों में प्रवृत्त विधि के उपबधों को निरस्त करती है । उपधारा 2 में यह उपबंधित है कि ऐसे निरसन के होते हुए भी ऐसी किसी विधि के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई 1969 के अधिनियम के उपबंधों के अधीन ऐसी की गई समझी जाएगी मानो वे उस समय प्रवृत्त थे जब वह बात या कार्रवाई की गई थी और तदनुसार तब तक प्रवृत्त बनी रहेगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाए ।

इस अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत रजिस्ट्रार को ये शक्तियां प्रदत्त की गई हैं कि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत उनके पास रखे गए जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में किसी प्रविष्टि को संशोधित अथवा रद्द कर सकते हैं ।

धारा 31(2) के उपबंधों के अनुसार निरस्त की गई विधि के अधीन जन्म और मृत्यु के बारे में की गई प्रविष्टियां

अब इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई मानी जाएंगी और तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक वह इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित कर दी जाए । इसी प्रकार पुरानी प्रविष्टियों के लिए रखा गया जन्म और मृत्यु का रजिस्टर अब इस अधिनियम के अधीन रखा हुआ माना जाएगा ।

उक्त को देखते हुए 1969 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन विभिन्न राज्यों में निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज की गई जन्म और मृत्यु की प्रविष्टियों में संशोधन और रद्द के लिए रजिस्ट्रार सक्षम हैं ।

68. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण 1969 की धारा 15 के अनुसार जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टियां संशोधित या रद्द की जा सकती हैं । रजिस्ट्रार को यह शक्ति दी गई है कि वह अपने पास रखे जन्म और मृत्यु के रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करें या उसे रद्द कर दें । यह तभी किया जा सकेगा जब उसके समाधान होने तक यह साबित हो जाता है कि कोई प्रविष्टि प्ररूपत: या सारत: गलत है अथवा कपटपूर्वक या अनुचित रूप से की गई है । अधिनियम की धारा 30(2)(ड.) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसरण में रजिस्टरों को जिला रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित किए जाते हैं । क्या रजिस्ट्रार 12 माह की अवधि के पश्चात, जब रजिस्टर उसके पास नहीं हैं, संशोधन अथवा रद्द करने के लिए सक्षम है या अन्य कोई अधिकारी जिसके पास रजिस्टर है उस रजिस्टर में कोई प्रविष्टि संशोधित या रद्द कर सकता है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 16(1) के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रार को अपने रजिस्ट्रीकरण क्षेत्र के जन्म और मृत्यु के रजिस्टर रखने होते हैं । धारा 15 के अनुसार रजिस्ट्रार को उसके पास रखे गए किसी भी रजिस्टर में जन्म और मृत्यु की प्रविष्टि संशोधित करने या रद्द करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 30(2)(3) के अनुसार किसी राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम के अनुसरण में 12 माह की अवधि के बाद उक्त रजिस्टर जिला रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित किया जाता है। राज्य सरकार की यह राय है कि यदि रजिस्टर इस प्रकार अंतरित कर दिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे रजिस्ट्रार के पास हैं जिसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 15 के अधीन उसके द्वारा उक्त रजिस्टरों में संशोधन करने अथवा रद्द करने में काफी कठिनाई महसूस होती है । धारा 15 में यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि रजिस्टर रजिस्ट्रार के पास होंगे । अत: राज्य सरकार द्वारा धारा 30(2)(ठ) के अन्तर्गत बनाए गए नियम की सुसंगत ढंग से व्याख्या की जानी है। इसमें उचित राय यह ही होगी कि रजिस्टर चाहे कहीं भी रखें जाएं किन्तु यह माना जाएगा कि वे रजिस्ट्रार के पास ही हैं और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट जिला रजिस्ट्रार के कार्यालय अथवा किसी अन्य अधिकारी के पास उनका अन्तरण प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है ताकि रिकार्ड को सुविधाजनक और केन्द्रीकृत स्थान पर रखा जा सके । यद्यपि रजिस्टरों को जिला रजिस्ट्रार को अंतरित किया जाता है और उसके कार्यालय में रखे जाते हैं तथापि रजिस्ट्रार इन रजिस्ट्रारों का उचित अभिरक्षक होगा । अत: अधिनियम की धारा 15 के अधीन वह संशोधन आदि करने के लिए सक्षम है और उस प्रयोजन के लिए रिकार्ड को मंगवा सकता है या वह स्वयं उस स्थान पर जा सकता है और प्रविष्टियों का सत्यापन कर सकता है ।

69. प्रश्न : क्या अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जन्म/मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियों में संशोधन या उन्हें रद्द करने में नाम का परिवर्तन भी शामिल हैं ?

क्या 1969 के अधिनियम के लागू होने से पूर्व हुए और दर्ज किए गए जन्म और मृत्यु के बारे में नाम में परिवर्तन करने में रजिस्ट्रार सक्षम हैं ?

स्पष्टीकरण : नाम में परिवर्तन करने के प्रश्न पर दो पहलुओं से विचार किया जाए । उसमें पहला यह है कि रजिस्टर में नाम लिखते समय कोई लिपिकीय गलती हो गई हो । उदाहरणार्थ राम के स्थान पर गलती से ''रामलाल'' लिखा गया हो अथवा शब्द ''चन्द्र'' के स्थान पर ''चंदेर'' लिखा गया हो । ऐसी परिस्थितियों में नाम में संशोधन करना अधि नियम की धारा 15 के अन्तर्गत आता है । इसी प्रकार रजिस्टर में नाम कपटपूर्वक या अनुचित रूप से लिखा गया हो । यह भी धारा 15 के अधीन आता है । दूसरा पहलू यह है कि कोई व्यक्ति अपना नाम बदलता है और उसके बाद वह रजिस्टर में अपना नाम बदलवाने के लिए अनुरोध करता है । ऐसी स्थिति अधिनियम की धारा 15 के अधीन नहीं आती है ।

रजिस्टर में की जाने वाली निर्धारित विभिन्न प्रविष्टियों में से नाम भी एक प्रविष्टि है । वास्तव में नाम में परिवर्तन करना भी प्रविष्टि में संशोधन करना है । इसलिए नाम में परिवर्तन करने के बारे मे प्रत्येक मामले पर उक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाए ।

70. प्रश्न : पुराने नियमों के अधीन जन्म और मृत्यु के बारे में दर्ज की गई अनेक प्रविष्टियों में लिपिकीय या औपचारिक गलती है और लोगों को सही विवरणों के साथ प्रमाण पत्र लेने में कठिनाई हो रही है । यह आवश्यक है कि 1969 के अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी व्यक्ति को शक्तियां प्रदत्त की जाएं जो पुराने रिकार्ड को समझता हो और इन मामलों के बारे में कार्रवाई कर सके । वस्तुत: गोवा, दमन और दीव में सिविल रजिस्ट्रार ही ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पर चल रही परिस्थितियों में इस कार्य को कर सकते हैं । तथापि इस प्रशासन के विधि विभाग ने, जिनसे इस मामले में परामर्श लिया गया, यह राय दी है कि अधिनियम में ऐसे किसी प्रावधान के बिना धारा 15 के अधीन रजिस्ट्रार को दी गई शक्तियों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह राय दी है कि धारा 15 के अधीन दिए गए कार्यों को केवल रजिस्ट्रार ही कर सकता है । चूंकि पुराने रिकार्ड में संशोधन करने में रजिस्ट्रारों को व्यावहारिक रूप से काफी कठिनाई होती है और मामला अति आवश्यक था, अत: राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 32 के अधीन भारत सरकार की स्वीकृति लेने का निर्णय किया और उसकी प्रत्याशा में प्रत्येक तालुक के सिविल रजिस्ट्रार को पुराने रजिस्टरों में प्रविष्टियों में गलतियों में संशोधन करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है । क्या ऐसा आदेश अधिनियम के अधीन वैध है ?

स्पष्टीकरण : ऐसा पता चला है कि गोवा, दमन और दीव के प्रशासक ने अधिनियम की धारा 15 के अधीन गोवा, दमन और दीव के प्रत्येक तालुक के सिविल रजिस्ट्रार को पुराने रजिस्टरों में प्रविष्टियों में इस सीमा तक संशोधन अथवा रद्द करने की शक्तियां प्रदान की हैं जो कि उक्त धारा के अधीन और उसके अधीन बनाये गये नियमों में संशोधन अथवा रद्द करने के लिए अनुमेय हैं । अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा आदेश अधिनियम के अन्तर्गत वैध है और क्या इस प्रकार सीमित प्रयोजन के लिए प्रत्यायोजन किसी भी प्राधिकारी को किया जा सकता है जो अधिनियम में नियुक्त किए गए रजिस्ट्रार के अलावा हो ?

अधिनियम की धारा 15 के उपबंध ऐसे नियमों के अधीन हैं जो कि राज्य सरकारों द्वारा अधिरोपित शर्तों और

परिस्थितियों के आधार पर बनाए जाते हैं जिनके अनुसार प्रविष्टियां संशोधित की जाती हैं अथवा रद्द की जाती हैं । किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 15 के अधीन ऐसा कार्य करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी की नियुक्ति, जैसा कि संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन द्वारा की गई है, रजिस्ट्रार द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अन्तर्गत नहीं आती है और इस प्रकार नियुक्त किया गया व्यक्ति कानूनी तौर पर ऐसा कार्य कर सकता है । उपरोक्त को देखते हुए उक्त आदेश पारित करने में कोई कानूनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए और सिविल रजिस्ट्रार द्वारा की गई कार्रवाई कानूनन ठीक होगी । तथापि अधिनियम में ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है जो इस कठिनाई को दूर कर सके। उपरोक्त को देखते हुए अधिनियम की धारा 32 के उपबंधों को भी ध्यान में रखा जाए ताकि इस कठिनाई को दूर किया जा सके ।

71. प्रश्न : एक लड़की की जन्म की तारीख 26.11.44 दर्ज की गई थी । इसके बाद एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि वस्तुत: यह लड़की नहीं अपितु लड़का था । जिस व्यक्ति का जन्म इस प्रकार दर्ज किया गया था उसने यह अनुरोध किया है कि जन्म रजिस्टर में दर्ज किए गए बच्चे का नाम और लड़का/लड़की में संशोधन किया जाए । उसने अपने इस दावे के समर्थन में एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसका दो नगरपालिका आयुक्तों ने सत्यापन किया है और अपना मैट्रिक का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें वही जन्म की तारीख दर्शायी गई है जो कि उक्त लड़की के जन्म के मामले में दर्ज की गई है ।

स्पष्टीकरण : यह नाम और लिंग में संशोधन करने का मामला नहीं है बल्कि जन्म से संबंधित पुरानी प्रविष्टि को पूरी तरह से रद्द करने का मामला है और उसमें संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने का सुझाव है । स्थानीय रजिस्ट्रारों को पार्टी को तदनुसार सूचित करने को अनुदेश दिए जाएं ।

72. प्रश्न : क्या अन्य पार्टी द्वारा सक्षम न्यायालय से ली गई घोषणात्मक डिगरी के आधार पर जन्म की तारीख ठीक की जा सकती है ?

स्पष्टीकरण : आयु को ठीक कराने के लिए आवेदन पत्र संबंधित व्यक्ति द्वारा दिया जाना है न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ।

73. प्रश्न : क्या रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड में संशोधन के जरिए पिता और माता का नाम जोड़ कर नाम का विस्तार करना जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 के अन्तर्गत आता है ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 15 इस प्रकार के मामलों पर लागू नहीं होती क्योंकि इनमें नाम में परिवर्तन निहित है ।

74. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने से पहले घटित और रजिस्टर कराई गई घटनाओं के मामले में पुराने रजिस्टर में नाम जोड़े जा सकते हैं ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के उपबंध 31(2) के आधार पर निरस्त कानून के अधीन की गई जन्म और मृत्युओं की प्रविष्टियों के बारे में यह माना जाएगा कि ये प्रविष्टियां इस अधिनिमय के उपबंध के अधीन की गई हैं और वे तब तक प्रवृत्त रहेंगी जब तक वे इस अधिनियम के अधीन किसी बात या कार्रवाई द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाएं । अत: यह समझा जाता है कि 1969 के इस अधिनियम के लागू होने से पहले रजिस्टर कराई गई घटनाएं उक्त अधिनियम के अधीन विनियमित की जाती रहेंगी ।

75. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनिमय, 1969 की धारा 15 के अधीन नाम से पहले के आद्याक्षर देना संभव है ?

स्पष्टीकरण : यदि रजिस्ट्रार यह महसूस करे कि पहले लिखा संक्षिप्त नाम (आद्याक्षर) प्ररूपत: या सारत: गलत है तो उसे ठीक कर सकता है ।

76. प्रश्न : क्या न्यायालय के निर्णय के आधार पर जन्म प्रविष्टियों में पिता और दादा के नाम में संशोधन किए जा सकते हैं ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 15 में रजिस्टर की प्रविष्टि को ठीक करने या उसे रद्द करने की व्यवस्था है । इस प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रार की संतुष्टि के लिए यह सिद्ध करना होगा कि कोई संबंधित प्रविष्टि प्ररूपत: या सारत: गलत है । तो भी मूल प्रविष्टि काटी नहीं जाएगी या उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, बल्कि हाशिए में प्रविष्टि की जाएगी । उसके पश्चात नियम 12 में अपनाई जाने वाली विशिष्ट कार्यविधि बताई गई है । यदि यह किसी औपचारिक गलती का मामला प्रतीत नहीं होता बल्कि प्रविष्टियां प्ररूपत: या सारत: गलत प्रतीत होती हैं... यदि पूर्णतया गलत हैं तो इस प्रयोजन के लिए उस नियम (4) में मामले के तथ्यों की जानकारी रखने वाले दो विश्वसनीय व्यक्तियों द्वारा घोषणा करने की विशेष रूप से व्यवस्था है । इसके अलावा, रजिस्ट्रार अपनी संतुष्टि करने के लिए इससे पहले माता या उन व्यक्तियों को कारण बताने का अवसर दे सकता है जिसने पहले रिपोर्ट दी थी।

77. प्रश्न : क्या बच्चे के जन्म को रजिस्टर कराने की तारीख के बाद गजट अधिसूचना या अन्य के माध्यम से पिता/माता के नाम में किए गए परिवर्तन को जन्म रजिस्टर में समाविष्ट किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : चूंकि नाम में इस प्रकार के परिवर्तन अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत नहीं आते, इन्हें जन्म रजिस्टर में समाविष्ट करने की आवश्यकता नहीं है ।

78. प्रश्न : क्या जन्म/मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियों को ठीक/रद्द करने के लिए फीस वसूल की जा सकती है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30(2)(ङ) में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि राज्य नियमों में ऐसे उपबंध बनाए जाएं जिससे कि उक्त अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों के अधीन जन्म/मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टियों को ठीक/रद्द करने के लिए फीस वसूल की जाए । अत: इस संबंध में कोई फीस वसूल नहीं की जा सकती ।

79. प्रश्न : क्या जन्म रजिस्टर में नाम और लिंग से संबंधित प्रविष्टि को उपचारी आपरेशन करने वाले शल्य चिकित्सक के प्रमाणपत्र के आधार पर ठीक किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : यदि आपरेशन करने वाला शल्य चिकित्सक बच्चे के लिंग को प्रमाणित कर देता है तो ऐसे बच्चे के नाम और लिंग से संबंधित प्रविष्टि की अनुमति दे दी जाए ।

धारा 17 :

80. प्रश्न : छावनी कार्यालयों में कार्य का माध्यम अंग्रेजी है, अत: अधिनियम के अधीन रजिस्टरों और अन्य फार्मों को क्षेत्रीय भाषा में रखना संभव नहीं है । छावनी क्षेत्र की जनसंख्या में देश के अलग-अलग भागों के व्यक्ति होते

हैं जो जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्र केवल अंग्रेजी में ही बनाए जाने पर बल देते हैं । कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या छावनी आदि जैसी कुछेक रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में निर्धारित रजिस्टरों और फार्मों को अंग्रेजी भाषा में अपनाया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : चूंकि छावनी बोर्ड के कार्यालय में कार्य का माध्यम अंग्रेजी है, अत: उन्हें रजिस्टर आदि अंग्रेजी भाषा में रखने की अनुमति दे दी जाए ।

81. प्रश्न : क्या जन्म और मृत्यु रजिस्टर में बाल पेन या डाट पेन से प्रविष्टियां की जा सकती हैं ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्टरों में प्रविष्टियां करते समय बाल/डाट पेन का प्रयोग वांछनीय नहीं है, क्योंकि इससे कागज पर अधिक दबाव पड़ता है । संभवत: इसी कारणवश मुख्य रजिस्ट्रारों के प्रथम सम्मेलन द्वारा रजिस्टरों में प्रविष्टियां करने के लिए स्याही का प्रयोग करने की विशेष रूप से सिफारिश की गई है । तथापि, मासिक विवरणियां आदि, जिन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं किया जाना है, तैयार करते समय बाल/डाट पेन के प्रयोग में कोई आपत्ति नहीं है ।

82. प्रश्न : क्या गर्भ के चिकित्सीय समापन के मामले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा फार्म नं. 4 में मृतक का पूरा नाम, पिता/पति का नाम और स्थायी पता दिया जाना चाहिए ? यदि नहीं तो जब पार्टी मृत्यु प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करती है तब मृत्यु प्रमाणपत्र किस प्रकार जारी किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि दर्ज करने से पहले संबंधित अस्पताल से फार्म नं. 13 में मृतक के सभी अपेक्षित विवरण प्राप्त करना आवश्यक है । इन विवरणों के बिना रजिस्ट्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए । यह अधिनियम की आवश्यकता है । संदर्भाधीन गोपनीय मामले का संबंध "मृत्यु के कारण" से है । हम अस्पताल प्राधिकारियों को यह सूचित करें कि उनके द्वारा ज्ञात मृत्यु के कारण को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों द्वारा गोपनीय माना जाएगा और अधिनियम की धारा 17 के अधीन मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते समय उसे प्रकट नहीं किया जाएगा ।

83. प्रश्न : कुछ मुख्य रजिस्ट्रारों ने सूचित किया है कि कुछ रजिस्ट्रीकरण इकाइयों में जन्म और मृत्यु रजिस्टरों के निरंतर उपयोग के कारण वे काफी पुराने हो गए हैं और काफी खस्ता हालत में हैं । यदि समय रहते उनकी नकल नही बनाई गई तो पुराने रजिस्टरों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा । अत: उन्होंने इन रजिस्टरों की दूसरी प्रति तैयार करने के लिए इस कार्यालय की अनुमति मांगी है ?

स्पष्टीकरण : यह सच है कि कुछ समय के बाद जन्म और मृत्यु रजिस्टर अनुपयोगी हो जाते हैं । इस संबंध में हम राज्यों को यह सुझाव देते रहे हैं कि इन रिकार्डों का रख-रखाव बहुत ही सावधानीपूर्वक किया जाए । इन रजिस्टरों की प्रतियां तैयार करना समस्या का वास्तविक समाधान नहीं है, क्योंकि इन रिकार्डों की नकल करने में हमेशा कर्मचारियों से गलती होने की संभावना बनी रहती है । इसके अलावा धोखाधड़ी की भी संभावना रहती है । इस प्रकार के रिकार्ड की फोटो स्टैट प्रतियां या माइक्रो फिल्म तैयार करना सबसे अच्छा समाधान है । जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र, जन्म/मृत्यु के मूल रिकार्ड से तैयार किया जाना है । इस उपबंध को ध्यान में रखते हुए किसी विशिष्ट वर्ष के सम्पूर्ण रिकार्ड की प्रतिलिपि तैयार करने के प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रकार पुन: लिखे गए रिकार्ड का उपयोग रिकार्ड को ढूंढने और जन्म तथा मृत्यु प्रमाणपत्र तैयार करने के लिए किया जाएगा, लेकिन प्रमाणपत्र जारी करते समय प्रविष्टि का सत्यापन मूल पुराने रिकार्ड से किया जाएगा । इस पुराने रिकार्ड की टिशू/पारदर्शक कागज आदि से मरम्मत

करके उसे इस प्रयोजन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा । इस तरह से पुन: लिखे गए रिकार्ड का उपयोग लगातार किया जा सकता है जबकि मूल रिकार्ड का उपयोग जन्म/मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करते समय ही किया जाएगा ।

84. प्रश्न : हरियाणा राज्य में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की पुरानी पद्धति में यह उपबंध था कि जनता उद्धरण प्राप्त करने के सबंध में जन्म और मृत्यु रिकार्ड का निरीक्षण कर सकती थी । लेकिन नए नियमों में यह सुविधा नहीं दी गई है । अत: यह नहीं पता कि जनता द्वारा रिकार्ड के निरीक्षण की अनुमति दी जाए या नहीं । **कृपया स्पष्ट करें ।**

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17(1) में यह व्यवस्था है कि जनता जन्म और मृत्यु के रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की रजिस्ट्रार द्वारा तलाश करवा सकेगी । इस धारा को ध्यान में रखते हुए जनता द्वारा रिकार्ड के निरीक्षण की अनुमति देना संभव नहीं है । तथापि निर्धारित फीस की अदायगी करने पर उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तलाश की जाएगी और आवेदक को प्रमाणित उद्धरण जारी किए जा सकते हैं ।

85. प्रश्न : कृपया यह स्पष्ट करें कि नगर परिषदों के पुराने नियमों के अन्तर्गत रजिस्टर की गई घटनाओं के उद्धरण जारी करने के लिए फीस पुराने नियमों के अनुसार ली जाएगी या जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 30 के अधीन बनाए गए नियमों में निर्धारित दरों के अनुसार ली जाएगी ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 31(1) के अधीन यह व्यवस्था है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के लागू होने के बाद पूर्ववर्ती अधिनियमों/ नियमों के सभी उपबंध, जिनका संबंध 1969 के अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले विषयों से है, निरसित हो जाएंगे । अत: अब पुराने नियमों के अधीन पुरानी घटनाओं के उद्धरण जारी करने का प्रश्न ही पैदा नही होता । इस प्रकार के सभी मामलों में भी 1969 के अधिनियम की धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए संगत राज्य नियमों के अधीन निर्धारित फीस लागू होगी ।

86. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की पुरानी प्रणाली के अधीन सरकारी कार्य के लिए उद्धरण नि:शुल्क दिए जाते थे । इसी प्रकार की छूट सैनिक बोर्ड को भी उपलब्ध थी । लेकिन नए नियमों में इस प्रकार का कोई उपबंध नही है । कृपया बताएं कि क्या सरकारी कार्य के लिए सरकारी कार्यालयों और सैनिक बोर्ड को उद्धरण नि:शुल्क दिए जा सकते हैं ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17(1) में उद्धरण जारी करने के लिए फीस की अदायगी के बारे में नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी गई है । इस प्रकार यदि राज्य सरकार सरकारी कार्यालयों और सैनिक बोर्ड को उद्धरण देने के लिए फीस अदायगी के बारे में कोई छूट देना चाहती है तो अधिनियम की धारा 30(1) में यथा उपबंधित राज्य नियम में संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की दृष्टि से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए ।

87. प्रश्न : नियमों में दो प्रयोजनों, अर्थात तलाश और उद्धरणों के लिए अलग-अलग फीस निर्धारित की गई है । अधिनियम की धारा 17 में किसी व्यक्ति को जन्म और मृत्यु रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की तलाश कराने की शक्ति दी गई है । ऐसा करना उस स्थिति में आवश्यक हो जाता है जब संबंधित व्यक्ति के पास कथित प्रविष्टि का कोई ब्यौरा अर्थात जन्म/मृत्यु की तारीख, माह और वर्ष न हो। यदि ये ब्यौरे उसके पास उपलब्ध हों तो उसे उसकी तलाश करवाने की आवश्यकता नहीं है और वह उसके ब्यौरे देकर प्रविष्टि के उद्धरण मांग सकता है । इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति जन्म

या मृत्यु के ब्योरे देकर उद्धरण मांगता है तो संभवत: वह तलाश नहीं करवाता और तलाश फीस उससे वसूल नहीं की जा सकती और उससे केवल उद्धरण फीस वसूली जा सकती है । **कृपया स्पष्ट करें ।**

स्पष्टीकरण : यदि कोई व्यक्ति जन्म या मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण की तारीख (जो घटना की तारीख से भिन्न हो) के ब्यौरे देकर उद्धरण मांगता है तो वह तलाश नहीं करवाता । ऐसे मामलों में उससे तलाश फीस वसूल नहीं की जा सकती और केवल उद्धरण फीस ही वसूल की जा सकती है क्योंकि नियमों में ये दो मदें अलग-अलग बताई गई हैं।

88. प्रश्न : क्या कोई व्यक्ति केवल तलाश करवाने के लिए आवेदन कर सकता है अथवा उसे तलाश करवाने और उद्धरण देने के लिए एक ही समय आवेदन करना होगा ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में घटना की तलाश करवाने और रजिस्टर से जन्म या मृत्यु संबंधी उद्धरण देने की फीस सहित अलग-अलग उपबंध विद्यमान हैं । उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई व्यक्ति रजिस्टर में किसी प्रविष्टि की तलाश करवाने के लिए आवेदन कर सकता है और उसे तलाश करवाने तथा उद्धरण देने के लिए एक साथ आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । उसे यह सूचित किया जा सकता है कि घटना रजिस्टर में मौजूद है ।

89. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 और उसके अधीन बनाए गए सुसंगत राज्य नियमों में जन्म और मृत्यु रजिस्टरों की तलाश करवाने तथा रजिस्टर से उद्धरण देने की फीस अदा करने की व्यवस्था है । क्या राज्य सरकार के विभाग सरकारी प्रयोजनों के लिए अधिनियम की धारा 17 में यथा निर्धारित तलाश फीस का भुगतान किए बिना रजिस्टर से ब्यौरे मांग सकते हैं ?

यह ध्यान में लाया गया है कि पुलिस प्राधिकारी को जन्म और मृत्यु रजिस्टर को जब्त करने का अधिकार है या अदालत उसे उस मामले में मंगवा सकती है जिससे रजिस्ट्रीकरण का कार्य रुक जाता है । इसके अलावा रजिस्ट्रार के कानूनी उत्तरदायित्व को निभाने में भी कठिनाई होती है । ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु के संबंध में जब किसी सरकारी विभाग द्वारा कोई जानकारी मांगी जाए तो उस मामले में ज्यादा कानूनी दृष्टिकोण अपनाना उचित नहीं होगा । विभाग को इस प्रकार की जानकारी अनौपचारिक रूप से दे देने में कोई कानूनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ।

तथापि, यदि धारा 17 की उष धारा (2) में उल्लिखित प्रयोजन के लिए जानकारी की आवश्यकता हो तो विभाग को रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत प्रमाणित उद्धरण देने के लिए निर्धारित फीस वसूल करना अनिवार्य होगा (कृपया स्पष्टीकरण 87 भी देखें)।

पुलिस या विधि न्यायालय को रजिस्ट्रार द्वारा रखे जा रहे जन्मों और मृत्युओं की प्रविष्टियों संबंधी रजिस्टर को जब्त करने या मांगने से रोकना संभव नहीं है । तथापि, इस प्रकार के मामले बहुत ही कम होते हैं और ये मामले तब उठते हैं जब जालसाजी आदि का संदेह हो ।

किसी व्यक्ति की आयु या मृत्यु की तारीख के प्रयोजन के लिए रिकार्ड को जब्त करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह प्रयोजन पुलिस को प्रमाणित प्रति देकर पूरा किया जा सकता है।

इसी प्रकार रजिस्ट्रार के कार्यालय का कोई प्राधिकृत व्यक्ति न्यायालय में रजिस्टर प्रस्तुत करके प्रमाण दे सकता है । जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में रजिस्ट्रार द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टरों को इस प्रकार कब्जे से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है और अधिनियम में इस प्रकार का उपबंध करना आवश्यक भी नहीं है । यह नहीं माना जा सकता कि रिकार्ड को इस प्रकार जब्त करने या उसे मांगने से रजिस्ट्रीकरण का कार्य रुक जाएगा या इससे रजिस्ट्रार का कानूनी उत्तरदायित्व प्रभावित होगा ।

90. प्रश्न : अधिनियम की धारा 15 और राज्य नियमों में विहित कार्यविधि के अनुसार धारा 17 के अधीन जन्म और मृत्यु रजिस्टर के उद्धरण में मूल और संशोधित की गई मदें दोनों ही दी जाएंगी । कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें जनसाधारण धारा 17 के अधीन केवल संशोधित मदों के उद्धरण ही प्राप्त करना चाहते हैं । इस संबंध में प्रश्न उठता है कि क्या जनता द्वारा मांगी गई संशोधित प्रविष्टियों के उद्धरण दिए जा सकते हैं ?

स्पष्टीकरण : अधिनियम की धारा 17 जन्म और मृत्यु रजिस्टर से उद्धरण देने से संबंधित है । ''उद्धरण'' शब्द का साधारण अर्थ ''.....'' के प्रमाण में सही और यथार्थ है । इस प्रकार, उद्धरणों में मूल प्रविष्टि और सही प्रविष्टि, संशोधन की तारीख सहित दर्शित की जाए । इस संबंध में आजकल यही परिपाटी अपनाई जा रही है ।

धारा 18 :

91. प्रश्न : धारा 18 में यह व्यवस्था है कि रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों का निरीक्षण जिला रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा । क्या धारा 18 के प्रयोजनों के लिए जिला रजिस्ट्रार द्वारा किसी ऐसे अधिकारी को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है जो रजिस्ट्रीकरण तंत्र में जिला रजिस्ट्रार से उच्चतर स्तर का हो?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 18 के अधीन जिला रजिस्ट्रार निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए अधिकारियों को विनिर्दिष्ट कर सकता है । इस प्रकार का अधिकारी संभवतः जिला रजिस्ट्रार को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा । यह स्वाभाविक ही है कि यह अधिकारी केवल वही अधिकारी हो सकता है जो उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हो अथवा उसके नियंत्रण के अधीन हो । इस प्रकार वह जिला रजिस्ट्रार से उच्च रैंक का अधिकारी नहीं हो सकता ।

92. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 19(1) और नियम 15, उप नियम 1, 2 और 3 के अधीन रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु रजिस्टर की तीन प्रतियां तैयार करता है । उनमें से एक प्रति मुख्य रजिस्ट्रार, बिहार को, दूसरी प्रति रजिस्ट्रार को भेज दी जाती है और तीसरी प्रति रजिस्ट्रार द्वारा स्वयं कार्यालय प्रति के रूप में रख ली जाती है । कृपया यह स्पष्ट करें कि क्या निगमों/ नगर पालिकाओं और अधिसूचित क्षेत्र समितियों द्वारा, जिनमें सांख्यिकीय कर्मचारी तैनात हैं, नगरीय क्षेत्रों के लिए जन्म और मृत्यु रजिस्टर फार्म 11, 12 और 13 तीन प्रतियों में तैयार किये जाएंगे ?

स्पष्टीकरण : 30, 000 से कम जनसंख्या वाली नगर पालिका के रजिस्ट्रार सहित प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के साविधिक रजिस्टर की केवल एक प्रति तैयार करेगा । बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1970 के नियम

15(1) में यथाविहित मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ठ अधिकारी के माध्यम से यह प्रति उसके पास भेज दी जाए। 30, 000 और उससे अधिक की जनसंख्या वाली नगर-पालिकाओं के रजिस्ट्रारों को साविधिक रजिस्टर की दो या तीन प्रतियां तैयार करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 1970 के नियम 15 के उप नियम (4) के अधीन उन्हें मुख्य रजिस्ट्रार को केवल संकलित विवरण की प्रति ही भेजनी होती है । तथापि, बड़ी नगरपालिका/निगम, स्थानीय निकाय के समस्त क्षेत्राधिकार के आंकड़ों का संकलन करने के लिए नगर पालिका/निगम के रजिस्ट्रार को भेजी जाने वाली प्रति नगर पालिका/ निगम को उप क्षेत्र के उप रजिस्ट्रार द्वारा तैयार करवा सकते हैं ।

धारा 19 :

93 प्रश्न : जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार प्रतिमाह प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण इकाई के जन्मों और मृत्युओं के मासिक उद्धरण राज्य निदेशालय को भेजते हैं । इन उद्धरणों का प्रयोग सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन करने के लिए किया जाता है और इन्हें एक वर्ष तक सुरक्षित रखा जाता है । सांख्यिकीय कार्य पूरा हो जाने पर इन्हें नष्ट कर दिया जाता है । क्या जब तालुका या इकाई स्तर से कोई जानकारी मंगानी हो तो उस स्थिति में इस निदेशालय द्वारा उद्धरणों की प्रतियां या कोई संगत जानकारी दी जा सकती है ?

स्पष्टीकरण : निदेशालय में रजिस्ट्रार से प्राप्त होने वाले जन्मों और मृत्युओं के उद्धरण मूल रिकार्ड की प्रमाणित प्रति नहीं होते, अत: उनका कोई कानूनी महत्व नहीं है । वे केवल संकलन कार्य के लिए होते हैं । कहीं से भी प्राप्त प्रश्नों को मूल रिकार्ड रखने वाले अधिकारी के पास या उद्धरण जारी करने के लिए अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास भेज दिया जाए ।

94. प्रश्न : क्या राज्य नियमों के अधीन प्राप्त मासिक विवरणियों को उनके प्राप्त होने की तारीख से तीन वर्ष बाद नष्ट किया जा सकता है या संबंधित राज्य की वार्षिक जन्म-मृत्यु सांख्यिकी रिपोर्ट में इन विवरणियों के आंकड़े प्रकाशित किए जाने पर नष्ट किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण : मासिक सांख्यिकीय विवरणियों को उनकी उपयोगिता के तीन वर्ष बाद नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । चूंकि आंकड़ों के सारणीकरण के पश्चात इन मासिक सांख्यिकीय विवरणियों का कोई महत्व नहीं रह जाता, अत: यह प्रत्येक राज्य पर छोड़ दिया गया है कि वे विवरणियों को तब नष्ट कर दें जब वे यह महसूस करें कि उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है ।

95. प्रश्न : जन्म और मृत्यु की मासिक रिपोर्टों की प्रतियों को कब तक सुरक्षित रखा जाए और इन रिपोर्टों को नष्ट करने की कार्यविधि क्या होनी चाहिए ?

स्पष्टीकरण : आंकड़ों का सारणीकरण कर लिए जाने के पश्चात मासिक सांख्यिकी विवरणियों का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता । अत: यह मुख्य रजिस्ट्रारों पर छोड़ दिया गया है कि वे जब यह महसूस करें कि विवरणियों की उपयोगिता समाप्त हो गई है तो वे अपने अपने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में इस संबंध में अपनाई जा रही कार्यविधि के अनुसार उन्हें नष्ट कर दें ।

धारा 20 :

96. प्रश्न : क्या 1.1.1971 से पहले भारतीय नागरिकों के विदेश में हुए बच्चों के जन्मों को जिन्हें अधिनियम

की धारा 20(1) के अधीन यथापेक्षित भारतीय कंसुलावास में रजिस्टर नहीं कराया गया है, अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन अब रजिस्टर कराया जा सकता है ?

यदि इस प्रकार के जन्मों को रजिस्टर कराया जा सकता है तो क्या भारत में आने के 60 दिन के पश्चात रजिस्ट्रीकरण कराने के मामलों में धारा 13 लागू होगी ?

स्पष्टीकरण : उक्त दोनों प्रश्नों का उत्तर हां में है ।

97. प्रश्न : गोवा, दमन और दीव के एकीकरण से पहले गोवा मूल के बहुत से व्यक्ति विभिन्न प्रयोजनों से मोजाम्बीक, अंगोला, मोंबासा आदि जैसी अफ्रीकी पुर्तगाली कालोनियों में चले गए थे । अफ्रीका में पुर्तगाली कालोनियों में बस जाने पर उन्होंने उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है । अब यह देखा गया है कि बहुत से ऐसे व्यक्ति स्थायी रूप से बसने की दृष्टि से भारत लौट रहे हैं । लौटने पर वे प्रायः भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन करते हैं और भारतीय नागरिकता लेने से पहले या बाद में अपने बच्चों के जन्मों के रजिस्ट्रीकरण का अनुरोध करते हैं ।

चूंकि अफ्रीका से प्रत्यावर्तित ऐसे सभी व्यक्तियों के बच्चों के जन्मों को पुर्तगाली कालोनियों के प्राधिकारियों के पास रजिस्टर किया गया है अतः यह स्पष्ट किया जाए कि क्या बच्चों की नागरिकता बदलवाने के पश्चात उनके बच्चों के जन्मों का रजिस्ट्रीकरण गोवा में किया जा सकता है

स्पष्टीकरण : भारतीय नागरिकता से भिन्न नागरिकता वाले व्यक्तियों से विदेश में हुए और रजिस्ट्रीकृत जन्मों को 1969 के अधिनियम की धारा 20(2) के अधीन पुनः रजिस्टर नहीं किया जा सकता । ऐसे मामलों में विदेशी सरकारों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र हमारे देश में सभी प्रयोजनों के लिए काम आएंगे ।

98. प्रश्न : धारा 20(2) के अनुसार भारतीय नागरिक के विदेश में पैदा हुए बच्चे के जन्म को, जिसे भारतीय कंसुलावास में रजिस्टर नहीं कराया गया है, भारत में रजिस्टर कराया जा सकता है बशर्ते कि बच्चे के माता पिता भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए स्वदेश लौटते हैं ।

तथापि, ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें जन्मों को धारा 20(1) में यथा निर्दिष्ट उन देशों के भारतीय कंसुलावासों में दर्ज न करा कर विदेशों के उन रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में रजिस्टर कराया गया था, जहां बच्चे के जन्म के समय माता-पिता रहते थे । माता पिता इन विदेशी रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए जन्म प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करते हैं । क्या इन प्रमाणपत्रों को जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 17 की उप धारा 2 के प्रयोजनों के लिए कानूनी तौर पर मान्य समझा जाएगा ?

स्पष्टीकरण : धारा 20 में भारत से बाहर नागरिकों के जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के बारे में विशेष उपबंध किए गए हैं । उप धारा (1) में यह उपबंध है कि विदेशों में भारतीय नागरिकों के जन्मों और मृत्युओं को, जिन्हें नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन भारतीय कंसुलावासों में रजिस्टर कराया गया है, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर कराया हुआ माना जाएगा और इन नियमों के अधीन प्राप्त ऐसी इत्तिला को महारजिस्ट्रार रजिस्टर कराएगा। जहां जन्मों और मृत्युओं को इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत नहीं किया गया है वहां उप धारा (1) के अनुसार महारजिस्ट्रार द्वारा ऐसी कोई इत्तिला प्राप्त नहीं की जाएगी । उस प्रयोजन के लिए उप धारा (2) में निर्धारित कार्यविधि का अनुसरण करना होगा और यदि बच्चे के माता-पिता भारत में बसने के लिए वहां लौटते हैं तो वे भारत पहुंचने की तारीख से साठ दिन

के भीतर किसी भी समय बच्चे का जन्म इस अधिनियम के अधीन उस रीति से रजिस्ट्रीकृत करा सकेंगे, मानो बच्चे का जन्म भारत में हुआ था । बच्चे के जन्म के समय माता-पिता के रहने के स्थान पर भारतीय नागरिक के जन्म का विदेशी रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण कराने से इस अधिनियम के अधीन महारजिस्ट्रार के पास जन्म का रजिस्ट्रीकरण स्वत: ही नहीं कराया जा सकेगा क्योंकि अधिनियमों में इसकी कोई कार्यविधि निर्धारित नहीं की गई है । तथापि, इस अधिनियम की धारा 32 के अधीन यदि किसी राज्य में इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने में कोई कठिनाई उदभूत होती है तो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार ऐसे उपबंध कर सकेगी या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

99. प्रश्न : सशस्त्र सेना कार्मिक की पत्नी ने बंगला देश के अस्पताल में एक बच्चे को उस समय जन्म दिया जब उसका पति बंगला देश में तैनात था । इस जन्म को प्रमाणित करने के लिए उसके पास अस्पताल के दस्तावेज हैं । भारत में अपने मूल निवास स्थान पर वापस आने पर उसने जन्म रजिस्टर करने के लिए अनुरोध भेजा है । क्या जन्म को रजिस्टर किया जा सकता है ?

स्पष्टीकरण : चूंकि बंगला देश के भारत के साथ राजनयिक संबंध हैं, अत: नागरिकता अधिनियम, 1955 के अधीन नागरिक (भारतीय कंसुलावासों में रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1956 के अनुसार जन्म को उस देश में स्थित भारतीय दूतावास में रजिस्टर कराया जाना चाहिए था । इस विशिष्ट मामले में आवेदक का पति अस्थायी ड्यूटी पर बंगला देश में तैनात था । अत: जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 20(2) के अधीन जन्म को बच्चे के माता-पिता के सामान्य निवास स्थान अर्थात भारत में उसके मूल निवास स्थान पर रजिस्टर कराया जा सकता है ।

100. प्रश्न : अधिनियम की धारा 20(2) में भारत के बाहर पैदा हुए किसी बच्चे के जन्म को, जिसे धारा 20(1) के अधीन भारतीय कंसुलावास में रजिस्टर नहीं कराया गया है, बच्चे के माता-पिता के भारत में बसने की दृष्टि से भारत लौटने पर रजिस्टर कराने की अनुमति दी गई है, तथापि देश से बाहर हुई और अधनियम की धारा 20(1) के अधीन रजिस्टर न कराई गई मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस प्रकार का कोई उपबंध नहीं है । इससे भारत से बाहर मृत व्यक्ति के संबंधियों/उत्तराधिकारियों को काफी कठिनाई होती है । यह स्पष्ट किया जाए कि क्या जन्म के रजिस्ट्रीकरण की भांति भारत से बाहर हुई मृत्युओं को भारत में रजिस्टर किया जा सकता है ? यदि हां तो इस प्रकार के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या समय सीमा है ?

स्पष्टीकरण : धारा 20 की उप धारा (2) में भारत से बाहर पैदा हुए किसी बच्चे के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की व्यवस्था है जिसके संबंध में धारा (1) में यथा उपबंधित इत्तिला प्राप्त न हुई हो । यदि बच्चे के माता-पिता भारत में बसने की दृष्टि से भारत आएं तो वे बच्चे के भारत पहुंचने की तारीख से साठ दिन के भीतर किसी भी समय बच्चे का जन्म इस अधिनियम के अधीन उसी रीति से रजिस्ट्रीकृत करा सकेंगे मानो बच्चे का जन्म भारत में हुआ था और धारा 13 के उपबंध ऐसे बच्चे के जन्म को पूर्वोक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात लागू होंगे ।

उक्त उप धारा में भारत से बाहर हुई मृत्यु को उसी आधार पर रजिस्टर करने की व्यवस्था नहीं है ।

धारा 23 :

101. प्रश्न : विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के प्रत्येक मामले पर धारा 23(1) के दाण्डिक उपबंध लागू होते हैं जिसे अधिनियम की धारा 24 के अधीन प्रशमन शुल्क लेकर समाप्त किया जा सकता है । यदि हां तो क्या इसका यह अर्थ है कि विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के सभी मामलों में विलम्ब शुल्क के अलावा दण्ड (या उसके लिए प्रशमन शुल्क) का भुगतान आवश्यक है । तथापि, अधिनियम की धारा 13 में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है ।

स्पष्टीकरण : धारा 23 में यह उपबंधित है कि कोई व्यक्ति जो धारा 8 और 9 के उपबंधों के अधीन ऐसी इत्तिला जिसे देना उसका कर्त्तव्य है, देने में युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहेगा तो वह जुर्माने से जो पचास रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा । इससे यह स्पष्ट है कि धारा 13 के अधीन रजिस्ट्रार को दी गई कोई इत्तिला पर धारा 23 के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथा निर्धारित विलम्ब शुल्क की अदायगी के अलावा धारा 23 के अधीन दाण्डिक उपबंध लागू होंगे । धारा 13 घटनाओं के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण से संबंधित है और उसमें विलम्ब शुल्क दिए जाने की व्यवस्था है । अपराधों के प्रशमन लिए ली जाने वाली फीस धारा 24 के अधीन वसूल की जानी है । धारा 24 अपराधों के प्रशमन की शक्ति से संबंधित है ।

अत: प्रशमन शुल्क विलम्ब शुल्क के अतिरिक्त है ।

102. प्रश्न : किसी राज्य के रजिस्ट्रार ने अधिनियम की धारा 23(1)(ख) के अधीन दो व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई की है । उक्त मामलों की न्यायिक जांच करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उक्त व्यक्ति पर जुर्माना किया है । लेकिन उक्त मामलों में किए गए जुर्माने को पंचायत फंड में जमा नहीं कराया गया क्योंकि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 में इस प्रकार के मामलों में किए गए जुर्माने को जमा कराने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । क्या इस संबंध में नियम बनाने आवश्यक हैं ?

स्पष्टीकरण : धारा 23(1)(ख) के अधीन किए गए जुर्माने की अदायगी संबंधित रजिस्ट्रीकरण इकाई को किए जाने के लिए नियमों में संशोधन का प्रारुप अनिवार्य है ।

103. प्रश्न : उदाहरणार्थ, नगरीय क्षेत्रों में किसी व्यक्ति के लिए जन्म की इत्तिला जन्म की तारीख के सात दिन के भीतर जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को देना आवश्यक है । रजिस्ट्रार ने पार्टी से इत्तिला प्राप्त होने के सात दिन के भीतर घटना को रजिस्टर कर लिया । इस प्रकार घटना को उसके घटित होने के 14 दिन के भीतर रजिस्टर कर लिया गया । क्या रजिस्ट्रार दण्डनीय है ।

स्पष्टीकरण : रजिस्ट्रार द्वारा आवश्यक देरी के लिए वह अधिनियम की धारा 23(2) के अधीन दण्डनीय हो जाता है ।

104. प्रश्न : (क) क्या रजिस्ट्रार संस्थागत घटनाओं को रजिस्टर कराने में असफल रहने के लिए चूककर्त्ता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी (इत्तिलादाता) के विरूद्ध अभियोजन की कार्रवाई कर सकता है ?

(ख) क्या अभियोजन कार्यवाही के दौरान घटनाओं को रजिस्टर कराया जा सकता है?

(ग) यदि आपराधिक कार्रवाई आरम्भ करने से पहले या उसके बाद चिकित्सा अधिकारी मुख्य रजिस्ट्रार से

अपराध को प्रशमन करने का अनुरोध करे तो क्या उसके द्वारा किए गए प्रत्येक अपराध के लिए या सभी अपराधों के लिए उससे पचास रुपये से अधिक की राशि वसूल की जाएगी ?

(घ) क्या जन्म और मृत्युओं की सूचना न देने के अपराधों का प्रशमन कर दिए जाने पर घटनाओं को रजिस्टर किया जा सकता है ?

(ङ) क्या चिकित्सा अधिकारी धारा 23 या 24 के अधीन किए गए जुर्माने सहित विलम्ब रजिस्ट्रीकरण शुल्क अदा करेगा ?

(च) विधि न्यायालयों द्वारा किए गए जुर्माने या विलम्बित रजिस्ट्रीकरण के लिए देय विलम्ब शुल्क को चूककर्ता चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा या संस्थानों द्वारा सरकारी /स्थानीय निकाय के फंडों से अदा किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण : (क) यदि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी घटना की सूचना नहीं दे तो वह विलम्ब शुल्क और अधिनियम की धारा 13 तथा 23 में यथा उपबंधित दण्ड भी अदा करने का उत्तरदायी हो जाता है । धारा 25 के अधीन यथा उपबंधित मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, यदि आवश्यक हो तो, अभियोजन की कार्रवाई भी की जा सकती है ।

(ख) अभियोजन कार्यवाहियों पर ध्यान दिए बिना प्रभारी चिकित्सा अधिकारी अधिनियम के सुसंगत उपबंध के अनुसार विलम्ब आदि के आधार पर घटना को रजिस्टर कराने के लिए बाध्य है ।

(ग) अपराध के प्रशमन के समय ध्यान में आई निहित घटनाओं की संख्या पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

(घ) किसी व्यक्ति के विरूद्ध अभियोजन आरम्भ करना या अपराधों का प्रशमन करना अधिनियम की धारा 13(4) के उपबंध के अनुसार अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने में आड़े नहीं आता । अधिनियम की धारा 23 या 24 के अधीन की गई कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 13 के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

(ङ) संबंधित व्यक्ति को धारा 23 या 24 के अधीन किए जाने वाले दण्ड सहित विलम्ब रजिस्ट्रीकरण शुल्क देना होगा ।

(च) संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वयं ही जुर्माना का वहन किया जाएगा संस्थाओं द्वारा नहीं क्योंकि अधिनियम की धारा 8(1)(ख) के अधीन घटनाओं की इत्तिला देने के लिए उसे ही कर्त्तव्य बाध्यता के तौर पर विनिर्दिष्ट किया गया है ।

धारा 23, 24, और 25 :

105. प्रश्न : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23, 24 और 25 शास्तियों, अपराधों के प्रशमन की शक्ति और अभियोजन के लिए मंजूरी देने से संबंधित है । धारा 23 में उल्लिखित अपराधों के लिये अभियोजन संस्थित करने की प्रक्रिया और संबंधित तंत्र के ब्यौरों के बारे में प्रश्न उठा है। कृपया परामर्श दें ?

स्पष्टीकरण : जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 23 में अपराधों और उनकी शास्तियों का उल्लेख है । उक्त अधिनियम की उप धारा (5) में यह प्रावधान है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते

हुए भी इस धारा के अधीन अपराध का विचारण मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपत: किया जाएगा । दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय इकत्तीस में अपराधों के संक्षेपत: विचारण के उपबंध अन्तर्विष्ट हैं । धारा 262 में यह प्रावधान है कि इस अध्याय (अध्याय इकत्तीस) के अधीन विचारण में शमनीय मामले के विचारण के लिए इसके बाद उल्लिखित पद्धति के अतिरिक्त संहिता में विनिर्दिष्ट पद्धति अपनाई जाएगी । अध्याय बीस में मजिस्ट्रेट द्वारा शमनीय मामलों के विचारण के लिए उपबंध है । अधिनियम की धारा 23 के अधीन अभियोजन चलाने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के सम्मुख उचित शिकायत दायर करनी पड़ेगी। चूंकि इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों और निकाले गए आदेशों के निष्पादन के लिए किसी राज्य का मुख्य रजिस्ट्रार उस राज्य का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा, अत: इस बारे में उसके द्वारा सम्यक तौर पर प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा ही शिकायत दायर करनी चाहिए । तत्पश्चात् संहिता की धारा 25 के अधीन सहायक लोक अभियोजक द्वारा अभियोजन की कार्रवाई की जाएगी । विभाग को सफल अभियोजन में सहायक लोक अभियोजक को पूरी सहायता देनी चाहिए । ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो विहित की जाए मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को अधिनियम की धारा 24 यह शक्ति प्रदान करती है कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी दाण्डिक कार्यवाही के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात उसे प्रशमित कर दे। इस उपबंध के अधीन बनाए गए नियमों में वे शर्तें उल्लिखित की जा सकती हैं जिनके अध्यधीन विभिन्न मामलों का प्रशमन किया जा सकता है। मामले के प्रशमन के पश्चात यदि दाण्डिक कार्यवाहियां संस्थित नहीं की गई हैं तो कोई दाण्डिक कार्यवाही संस्थित करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि इस धारा के अधीन मामले के प्रशमन के पश्चात किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पहले ही दाण्डिक कार्रवाई की जा चुकी है तो मजिस्ट्रेट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। यह कार्य या तो संबंधित व्यक्ति द्वारा या मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा मजिस्ट्रेट को आवेदन देकर किया जा सकता है । तत्पश्चात अभियुक्त को छोड़ दिया जाएगा और उसके विरूद्ध आगे की दाण्डिक कार्यवाही बन्द कर दी जाएगी।

धारा 25 में यह बताया गया है कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही संस्थित किया जाएगा अन्यथा नहीं । अत: शिकायत मुख्य रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए।